श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस

अंततः जीत राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय स्वाभिमान की

Mk- eqd th Le'fr U;kl

प्रकाशक की ओर से

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को ४० हेक्टेयर ज़मीन हस्तांतरित करने से उपजे विवाद के चलते जम्मू-कश्मीर राज्य में लगभग तीन महिने तक उबाल रहा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक करके यह जमीन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी, ताकि वह यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की स्थायी व्यवस्था कर सके। इसके विरोध में अलगाववादी संगठनों द्वारा कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। राष्ट्रविरोधी ताकतों ने हिन्दुओं के मन में भय और दहशत का माहौल कायम करने के लिए षड्यंत्र रचा। अलगाववादियों ने अमरनाथ यात्रियों पर पत्थर बरसाए, 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए, श्रीनगर के लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा फहराया, जिन बोर्डों व होर्डिंग पर 'भारत या इंडिया' लिखा था उन्हें तहस-नहस कर दिया। अंततः अलगाववादियों की धमकी के आगे कांग्रेसनीत गुलाम नबी सरकार ने घुटने टेकते हुए आवंटित भूमि को वापस ले लिया। इसी बीच पीडीपी के समर्थन वापस ले लेने से राज्य की कांग्रेस-नीत सरकार भी अल्पमत में आ गई और अंततः राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया।

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ज़मीन के हस्तांतरण का विरोध किया, जबकि केवल भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही इस भूमि आवंटन के पक्ष में रही। प्रारंभ में कांग्रेस भी भूमि आवंटन के पक्ष में थी लेकिन राज्य में तुष्टिकरण की राजनीति के चलते उसने अलगाववादियों के सामने घुटने टेक दिए।

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने के मामले का राजनीतिकरण करने और अमरनाथ यात्रा को भंग करने के उद्देश्य से कश्मीर घाटी में हिंसा फैलाने के विरोध में जम्मू में श्रीअमरनाथ संघर्ष समिति, विश्व हिन्दू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत अनेक राष्ट्रवादी संगठनों ने जनांदोलन छेड़ दिया। लगातार ६७ दिन आन्दोलन चलाकर जम्मू के नागरिकों ने इतिहास रच दिया। इस राष्ट्रवादी आंदोलन में कई देशभक्तों ने अपनी शहादतें दीं। जम्मू क्षेत्र की आम जनता, मातृशक्ति और छोटे-छोटे बच्चों के साथ ही देशभर के राष्ट्रवादियों ने अलगाववादी ताकतों को करारा जवाब दिया।

सशक्त आंदोलन को देखते हुए अंततः जम्मू कश्मीर सरकार श्रीअमरनाथ संघर्ष समिति से समझौता करने पर बाध्य हुई। इस समझौते के मुताबिक राज्य सरकार श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड को ६६ एकड़ जमीन प्रति वर्ष यात्रा के समय दो माह के लिए उपलब्ध कराएगी। श्राईन बोर्ड को भूमि उपलब्ध कराने के इस निर्णय से भगवान शिव की पवित्र भूमि अमरनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बालटाल और डोमेल में आवश्यक सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी।

अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस मिलना राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय स्वाभिमान की जीत है। इसके लिए जम्मू के लाखों नागरिकों ने जबर्दस्त आंदोलन चलाया। समूचे राष्ट्र ने इस आंदोलन के पक्ष में एकजुटता दिखायी और तुष्टिकरण में लिप्त कांग्रेस, पीडीपी जैसी अलगाववादी ताकतें परास्त हुईं। इस ऐतिहासिक आंदोलन के सामने आखिरकार केन्द्र सरकार को झुकना पड़ा। पूरा देश जम्मू की जनता के शौर्य, एकजुटता व त्याग के सामने नतमस्तक है।

श्रीअमरनाथ श्राईन बोर्ड भूमि विवाद को लेकर जम्मू के नागरिकों द्वारा चलाए गए जनांदोलन के बारे में देश के सुप्रसिद्ध स्तंभकारों और बुद्धिजीवियों ने समाचार-पत्रों में लेख लिखकर अपने विचार प्रस्तुत किए। सबने जम्मू आंदोलन को ऐतिहासिक और दूरगामी बताया। हम इस पुस्तिका में समाचार-पत्रों और लेखकों के विचारों को यहां साभार प्रकाशित कर रहे है ताकि देश के नागरिक इससे प्रेरणा ले सकें और यह राष्ट्रीय दस्तावेज बन सके।

प्रकाशक
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास
पी.पी.-६६ सुब्रमण्य भारती मार्ग
नई दिल्ली

सितम्बर २००८

तारीख दर तारीख अंजाम तक पहुंचा आंदोलन

१७ जून : दो माह तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा शुरू।

२२ जून : अमरनाथ बोर्ड को जंगल की भूमि आवंटित करने के विरूद्ध गंदरबल व अन्य स्थानों पर प्रदर्शन शुरू।

२८ जून : गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली साझा सरकार से पीडीपी ने समर्थन वापस लिया। पीडीपी के नौ मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दिया।

२९ जून : राज्यपाल एनएन वोहरा ने पीडीपी के मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार किया और बोर्ड को भूमि आवंटन निरस्त किया। इसके चलते घाटी में प्रदर्शन खत्म हुआ लेकिन जम्मू में शुरू हो गया। जम्मू में तीन बार ७२ घंटे का बंद हुआ।

१ जुलाई : पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। हिंसा के कारण जम्मू में कर्फ्यू लगाया गया।

७ जुलाई : विश्वास मत लाए बिना मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपने पद से त्यागपत्र दिया।

२३ जुलाई : जम्मू के परेड ग्राउंड में आयोजित धरने के दौरान प्रदर्शनकारी कुलदीप डोगरा ने शहादत दी। हिंसा फैली और जम्मू में अनिश्चितकालीन बंद शुरू।

१ अगस्त : सांबा में दो लोगों की मौत के बाद जम्मू और सांबा जिलों में सेना बुलाई गई। कई सरकारी कार्यालय जलाए व नष्ट किए गए।

३ अगस्त : सांप्रदायिक हिंसा के कारण राजौरी और भदेरया में कर्फ्यू लगाया गया।

४ अगस्त : सांबा में पुलिस की गोली से दो मरे और १८ घायल हुए।

६ अगस्त : कठुआ के पाली में सेना की गोली से एक व्यक्ति की मौत हुई। प्रधानमंत्री ने अमरनाथ मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई।

९ अगस्त : किश्तवाड़ा में सांप्रदायिक हिंसा फैलने के कारण दो व्यक्तियों की मौत और ८० घायल हो गए।

१४ अगस्त : हीरानगर के एक सेवानिवृत्त डाक्टर ने अपनी जिंदगी खत्म की।

१८-२०अगस्त : श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के तीन दिवसीय जेल भरो आंदोलन में लाखों व्यक्तियों ने गिरफ्तारी दी। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आंदोलन के अंतिम दिन हिंसा जनीपुरा, रिहारी, अखनूर और गांधीनगर में फैली।

२३ अगस्त : संघर्ष समिति और राज्यपाल के पैनल के बीच तीन बार वार्ता हुई। समिति के अपने रूख पर अड़े रहने के कारण पैनल ने और समय मांगा।

२४ अगस्त : समिति ने ३१ अगस्त तक जम्मू बंद का आह्वान किया। एक और युवक ने बिसनाह में आत्महत्या की।

२७ अगस्त : आतंकवादियों ने चिन्नूर में आत्मघाती हमला किया। इसमें ११ व्यक्तियों सहित तीन आतंकवादी मारे गए। संघर्ष समिति ने परेड ग्राऊंड में रैली रद्द की।

२८ अगस्त : संघर्ष समिति और राज्यपाल के पैनल के बीच वार्ता असफल।

२९ अगस्त : सरकारी अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर संघर्ष समिति ने वार्ता की संजीदगी पर प्रश्नचिन्ह लगाया।

३० अगस्त : सरकारी पैनल और संघर्ष समिति में चौथे दौर की वार्ता शुरू हुई। समझौते का खाका तैयार।

३१ अगस्त : अमरनाथ यात्रा के दौरान बोर्ड को ४० हेक्टेयर जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई।

क्या है श्राईन बोर्ड

२०००

अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं के लिए राज्य विधानसभा ने आठ वर्ष पूर्व एक कानून बनाकर अमरनाथ श्राईन बोर्ड का गठन किया। राज्यपाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया।

२००३

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल व अमरनाथ श्राईन बोर्ड के अध्यक्ष जनरल एस के सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को दो माह तक बढ़ाने का फैसला किया, तब मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसे लागू करने में असमर्थता जताई। ध्यान रहे कि यह यात्रा दो सप्ताह से लेकर एक महीने के बीच पूरी हो जाती है।

२००८

राज्यपाल सिन्हा ने बालटाल से लेकर पहलगाम तक यात्रियों के लिए देखभाल के लिए अमरनाथ विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा।

इस प्रस्ताव का मकसद अमरनाथ यात्रियों के ठहरने और विश्रामगृह के लिए जमीन मुहैया कराना था। सरकार ने तीन वर्षों तक इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल रखा था, लेकिन २००८ में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी।

भूमि का कानून

- जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत में विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। मौजूदा स्थाई निवास कानून के तहत गैर कश्मीरियों को राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है।
- भूमि अनुदान कानून के तहत राज्य सरकार उद्योग-धंधे लगाने के लिए गैर-कश्मीरियों को लीज पर जमीन दे सकती है।
- राज्य सरकार ने वर्ष २००६ में विश्व पर्यटन स्थल गुलमर्ग में होटल और आवास बनाने के लिए गैर कश्मीरी निवेशकों को बोली लगाने का मौका देने का फैसला किया, लेकिन घाटी में विरोध के कारण सरकार ने अपना फैसला वापस लिया।

(राष्ट्रीय सहारा से साभार)

■

राष्ट्रवादियों और अलगाववादियों के बीच का संघर्ष है जम्मू विवाद : आडवाणी

लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड भूमि विवाद को राष्ट्रवादी व विघटनकारियों के बीच चल रहा संघर्ष करार दिया है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को १३ अगस्त, २००८ को भेजे पत्र में कहा है कि वे तुरंत श्राइन बोर्ड को जमीन आवंटित करने वाले कैबिनेट के फैसले को लागू करवाएं।

पत्र में श्री आडवाणी ने कहा है कि जम्मू के लोग अरसे से महसूस करते आए हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। न तो राज्य में जनगणना सही तरह से की गई है और न ही वहां परिसीमन हुआ है। रोजगार से लेकर विश्राम तक के मामले में उनकी अनदेखी होती आई है। इस संबंध में हमेशा यह कह कर सरकार पल्ला झाड़ती आई है कि अगर उनके साथ इंसाफ किया गया तो इससे घाटी के लोगों की भावनाएं आहत होंगीं। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को पूरे देश में सिर्फ इसलिए समर्थन मिल रहा है क्योंकि सबको यह लगता है कि अलगाववादियों के दबाव में सरकार ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आवंटित की गई जमीन वापस ले ली। इस से आहत होकर पूरा देश इस मसले पर एकजुट हो गया है। लोगों को यह लगता है कि अलगाववादियों को खुश करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

श्री आडवाणी ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के नियमों का हवाला देने के साथ ही यह लिखा है कि जम्मू में तिरंगा हाथ में लेकर संघर्ष कर रहे देशभक्तों की तुलना घाटी में समस्याएं पैदा करने वाले अलगाववादियों से नहीं की जा सकती है। हम यहां श्री आडवाणी जी द्वारा प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को लिखे पत्र का हिन्दी अनुवाद अविकल प्रकाशित कर रहे हैं:-

प्रिय प्रधानमंत्री जी,

हर वर्ष अमरनाथ के पवित्र मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित मुद्दे पर मैं काफी निराश होकर आपको यह पत्र लिख रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से मौन धारण कर लिया है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार इस समस्या को हल करने के प्रति गंभीर नहीं है।

राज्य प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में जम्मू संभाग की जनता के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। जनगणना सही और नियमित रूप से नहीं की गई है। परिसीमन को टाला जा रहा है; सरकारी नौकरियों, निधियों के वितरण तथा क्षेत्र के विकास में भेदभाव किया जाता रहा है। उनसे हर बार यही कहा जाता रहा है कि कश्मीर घाटी की अपनी एक 'मानसिकता' है और सरकार को उस मानसिकता के आगे झुकना पड़ता है और यदि जम्मू के लोगों के साथ निष्पक्षता बरती गई तो घाटी की इस 'मानसिकता' को ठेस पहुंचेगी। हाल की घटनाओं ने दिखा दिया है कि अब जम्मू के लोग शासन और क्षेत्र के विकास, दोनों मामलों में अपनी उचित हिस्सेदारी ले कर रहेंगे।

इस बात को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि आज जम्मू और कश्मीर की समस्या हिन्दू बनाम मुस्लिम नहीं है; और न ही यह जम्मू क्षेत्र बनाम घाटी की ही है। यह अनिवार्य रूप से राष्ट्रवादी बनाम अलगाववादी है। शेष भारत से समर्थन प्राप्त जम्मू के लोग पूरी तरह से ऐसा महसूस करते हैं कि मंत्रिमंडल के आदेश को पूरी तरह से अलगाववादी दबावों के कारण रद्द किया गया था। अलगाववादियों को खुश करने के फलस्वरूप राष्ट्रवादी जनमत द्वारा अलग-थलग महसूस करने से भारतीय जनमत की भावना को भारी ठेस और गहरी चोट पहुंची है।

जम्मू के लोगों का विरोध राष्ट्रवादी रहा है; उन्होंने विरोध जताते समय भी राष्ट्रीय ध्वज को अपने दिल से लगाए रखा। उन्होंने अपनी मातृभूमि और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए। इसी वजह से सेना और सुरक्षा बल को कर्फ्यू लगाने में कठिनाई हो रही है। क्या राष्ट्रवादियों के इस समूह को उन अलगाववादियों के बराबर माना जा सकता है जो हमारे देश के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। यही गलती

सरकार करती आ रही है।

प्रश्न यह खड़ा किया जा रहा है कि वर्तमान समस्या को किस तरह से हल किया जाए। यदि सरकार इस समस्या को हल करने के प्रति वास्तव में गंभीर है तो उसे सीधे कार्रवाई करनी पड़ेगी। कानून और न्यायिक आदेशों का पालन करते हुए ही आप सही हल ढूंढ सकते हैं।

जम्मू व कश्मीर विधानसभा का एक अधिनियम है जिसे 'जम्मू व कश्मीर श्रीअमरनाथजी श्राइन अधिनियम, २०००' कहते हैं। इस अधिनियम जिसमें श्राइन बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जिसमें बोर्ड के कार्यों की व्याख्या की गई है। अधिनियम के अनुच्छेद १६ को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

१६. बोर्ड के कार्य

इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए किन्हीं उप-नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड का यह कार्य होगा :-

(क) पवित्र श्राइन में सही ढंग से पूजा-अर्चना की व्यवस्था करना;

(ख) तीर्थयात्रियों द्वारा सही ढंग से पूजा करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराना;

(ग) निधियों, कीमती वस्तुओं तथा जेवरों की सुरक्षित देखभाल तथा बोर्ड की निधियों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था करना;

(घ) श्राइन और इसके आसपास के क्षेत्र से सम्बन्धित विकास कार्य करना;

(ड.) वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उचित वेतन के भुगतान की व्यवस्था करना;

(च) तीर्थयात्रियों को धार्मिक निर्देशों और सामान्य जानकारी देने का समुचित प्रबन्ध करना;

(छ) उपासकों और तीर्थयात्रियों के हित के लिए निम्नलिखित कार्य करनाः

(i) उनके ठहरने के लिए भवनों का निर्माण करना;

(ii) स्नानघरों और शौचालयों का निर्माण करना;

(iii) संचार व्यवस्था में सुधार करना।

(t) उपासकों और तीर्थयात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की

व्यवस्था करना;

(झ) उन सभी बातों की व्यवस्था करना जो पवित्र श्राइन के कारगर प्रबन्ध, रख-रखाव तथा संचालन के लिए और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रासंगिक और सहायक हों।

स्पष्ट है कि तीर्थयात्रियों द्वारा पूजा-अर्चना करने के लिए सुविधाएं जुटाना; श्राइन के आसपास विकास कार्य करना; तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए भवनों का निर्माण करना; यात्रियों को शौचालय आदि की सुविधाएं मुहैया कराना; संचार व्यवस्था करना; तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना आदि श्राइन बोर्ड का काम है। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह श्राइन बोर्ड को अपने कार्यों को सही ढंग से करने के लिए प्रभावी बनाए।

यह अधिनियम भारत की पंथनिरपेक्ष राज्य-व्यवस्था के अनुरूप है। सरकार न तो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करती है और न ही उनका प्रबन्ध करती है। यह काम प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय पर छोड़ा गया है। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद २६ तथा २७ के प्रावधानों में निहित है जिसे नीचे दिया जा रहा है:-

अनुच्छेद २६

धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता

लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को-

(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,

(ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का,

(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और

(घ) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का, अधिकार होगा।

अनुच्छेद २७

किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता

किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से

विनियोजित किए जाते हैं।

अनुच्छेद २६ में यह आदेश दिया गया है कि यह धार्मिक संस्थाओं पर निर्भर है कि वे अपने धार्मिक स्थानों की स्थापना करें और उनका रख-रखाव करें तथा अपने धर्म के मामलों को देखे। उन्हें कानून के अनुसार चल और अचल परिसम्पितयां अर्जित करने तथा उनका संचालन करने का हक है। संविधान के अनुच्छेद २६ के कारण यह स्पष्ट है कि सिख गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी सिख धार्मिक संस्थाओं के मामलों को देखती है, वक्फ बोर्ड मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के मामलों को देखता है और श्राइन बोर्ड तथा विभिन्न धार्मिक धर्मदाय सांविधिक अधिनियमों के तहत हिन्दू धार्मिक संस्थाओं का प्रबन्ध-कार्य देखते हैं।

अनुच्छेद २७ में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पंथ-निरपेक्ष राज्य करदाताओं के धन को धार्मिक प्रयोजनों पर खर्च नहीं कर सकता। यह अंशदान धार्मिक विशेष से सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा जुटाया जाना है जिसे धार्मिक कार्यकलाप चलाने पर खर्च किया जाएगा। इसी वजह से इस अधिनियम के तहत गठित जम्मू और कश्मीर श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि श्राइन बोर्ड तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा धार्मिक श्राइन की देखभाल करने के कार्यों को स्वयं कर सके। चूंकि यह मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है इसलिए जलवायु परिस्थितियों के अनुसार वहां पर यह कार्य करना जरूरी है। राज्य का कर्तव्य है कि वह श्राइन बोर्ड को भूमि उपलब्ध कराए ताकि बोर्ड द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

सरकार के किसी भी निर्णय का प्रभाव यह है कि श्राइन बोर्ड इन सुविधाओं को मुहैया नहीं करा पायेगा और यह कि उन्हें सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, संविधान के अनुच्छेद २६ और २७ और 'जम्मू व कश्मीर श्री अमरनाथजी श्राइन अधिनियम २०००', दोनों के ही अक्षरशः विपरीत है। चूंकि जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार श्राइन बोर्ड के कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं कर रही थी इसलिए जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने १५-४-२००५ को एक विस्तृत निर्णय दिया जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सरकार को कुछ निर्देश जारी किए।

सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में माननीय एकल न्यायाधीश ने यह फैसला दिया कि :

'चूंकि श्राइन बोर्ड यात्रा के मार्ग में तथा विभिन्न स्थानों पर इन्फ्रास्ट्रेक्चर खड़ा करना चाहता है इसलिए राज्य सरकार, यदि यात्रा के लिए विकास कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है तो बोर्ड द्वारा भूमि का इस्तेमाल करने वालों को तत्काल अनुमति दे। मुझे बताया गया है कि वन विभाग ने इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को पहले ही मंजूरी दे दी है। इस वर्ष यात्रा शुरू होने से पहले ही इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। ये प्रभावी कदम बोर्ड के निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों द्वारा उठाने होंगे और बोर्ड के निर्णय के कार्यान्वयन के बारे में किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा कोई हस्तक्षेप न किया जाए।''

एकल न्यायाधीश के इस आदेश के विरूद्ध जम्मू व कश्मीर राज्य द्वारा एक अपील दायर की गई थी। परन्तु इस निर्णय के इस भाग पर अपीलीय बोर्ड द्वारा स्थगन नहीं दिया गया था। १७-५-२००५ को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें यात्रा के सम्बन्ध में कुछ निश्चित निर्देशों का उल्लेख है। यह शंका प्रकट की गई थी कि श्राइन बोर्ड आवंटित की गयी भूमि को किसी तीसरे पक्ष को हस्तातंरित कर देगा। डिवीजन बेंच ने इसे स्पष्ट करते हुए अंतरिम आदेश में कहा कि :

''बोर्ड द्वारा आवंटित भूमि इसके उपयोगकर्ताओं के इस्तेमाल के लिए होगी और यात्रा की अवधि तक आवंटित रहेगी। बोर्ड 'लंगर,' पहले से तैयार (प्री-फेब्रिकेटिड) शिविरों और शौचालय आदि बनाने के उद्देश्य से जगहों को चिह्नित करेगा जोकि स्थायी नहीं होगी और यात्रा पूरी होने के बाद उसे हटाया जा सकेगा। बोर्ड उन व्यक्तियों/एजेंसी की पहचान करेगा जिनको यह स्थान आवंटित किया जाएगा ताकि राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों/एजेंसी की गतिविधियों की जांच कर सके.....''

अतः यह स्पष्ट है कि अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटित करने का अपना दायित्व निभायेगी। श्राइन बोर्ड इसे यात्रा की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष को अस्थायी और प्री-फेब्रिकेटिड ढांचा बनाने के उद्देश्य से दे सकता है ताकि

तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

उपरोक्त हालात कानून की वर्तमान स्थिति और न्यायिक आदेश हैं। क्या कोई इस पर विवाद कर सकता है कि प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित कानून लागू नहीं किया जाना चाहिए? क्या भारत सरकार या राज्य के राज्यपाल के पास न्यायिक आदेश को क्रियान्वित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प है?

कानून और न्यायालय के आदेश को संयुक्त रूप से पढ़ने पर एक साफ निष्कर्ष निकलता है। यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना श्राइन बोर्ड का कर्तव्य है। सरकार को श्राइन बोर्ड को उपयोगकर्ताओं के लिए भूमि देनी होगी। श्राइन बोर्ड यात्रा की अवधि के दौरान दूसरों से अस्थायी ढांचा खड़ा करने का अनुरोध कर सकता है। कैबिनेट द्वारा वापस लिया गया आदेश मुख्यतः कानून और न्यायिक निर्देशों का क्रियान्वयन करना है।

राज्यपाल द्वारा श्राइन बोर्ड को आवंटित भूमि सरकार को वापिस करने का निर्णय 'जम्मू व कश्मीर श्राइन बोर्ड अधिनियम' के प्रावधानों के विरूद्ध है। बोर्ड के चेयरमैन के रूप में राज्यपाल को बोर्ड के अधिकारों को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। बोर्ड से परामर्श न करके उन्होंने कानून के विरूद्ध काम किया है। बोर्ड को भूमि उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत दी गयी थी। बोर्ड को आवंटित भूमि को निरस्त करने का निर्णय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है और १५-४-२००५ तथा १७-५-२००५ के आदेशों की अवमानना है।

क्या भारत सरकार का यह पक्ष है कि अलगाववादियों के दबाव में न्यायालयों के वैधानिक आदेशों और कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता? क्या सरकार की यह धारणा है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को सुविधाएं देने की अनुमति नहीं दी जा सकती और कानूनी अधिकार-सम्पन्न श्राइन बोर्ड की अपेक्षा राज्य धार्मिक स्थलों के मामलों का संचालन करेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने जम्मू के लोगों के राष्ट्रवादी मानस, जिसे देश के मजबूत जनमत का समर्थन प्राप्त है, को समझने में भूल की है । इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सरकार राष्ट्रवादियों को अलग-थलग करने में सफल हुई है। सरकार ने स्पष्ट रूप से यही राजनीतिक पाप किया

है। न्यायालय के आदेशों को लागू करने की जरूरत है। कानून का आदेश मानने की जरूरत है। तीर्थयात्रियों के संविधान में प्रदत्त धार्मिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की जरूरत है। राष्ट्रवादियों की भावनाओं को दबाने की बजाए मजबूत करने की जरूरत है। अभी भी बहुत देर हो चुकी है। सरकार के संकुचित व्यवहार और समाधान ढूंढने में कछुआ चाल ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। चाहे बात जम्मू की हो या काश्मीर घाटी की इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु के कारण मुझे बेहद दुःख हुआ है। आज बहुत देर हो जाने पर भी, सरकार को स्थिति की गम्भीरता का आभास होना चाहिए और उसे ''कुछ न करने की नीति'' छोड़ कर एक न्याय संगत एवं उचित निर्णय लेने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए।

हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह तुरन्त कार्यवाही करे और मंत्रिमंडल के मूल आदेश को बहाल करें, जिनमें कानून और न्यायिक आदेशों दोनों को लागू किया जाए।

आपका
(लालकृष्ण आडवाणी)

■

श्राइन बोर्ड को आवंटित भूमि विवाद में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें : राजनाथ सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को अपने 27 जून के पत्र में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आवंटित भूमि को वापस लेने जैसे कदम को गलत बताते हुए कहा कि वे उन ताकतों को हवा न दे जो भारत की एकता और अखण्डता के दुश्मन हैं। यहां हम श्री राजनाथ सिंह के पत्र का हिन्दी भावान्तरण प्रस्तुत कर रहे हैं:

''मै आपका ध्यान श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) को आवंटित लगभग ४० हैक्टेयर भूमि के मुद्दे की ओर दिलाना चाहूंगा जिसके कारण कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग इस समय हिंसा करने पर उतारू हैं।

हाल की मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार इस मुद्दे पर आवंटन रद्द करने पर विचार कर सकती है। इस प्रकार के निर्णय के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं जिससे पूरे देश में साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण बिगड़ सकता है।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इसेस पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने एएसएएसबी को भूमि आवंटन का निर्णय लिया था। आवंटन वापस किए जाने से केन्द्र सरकार यह भी संकेत देगी कि सरकार दबाव में आ गई है और राज्य की कुछ अलगाववादी तथा समाज-विरोधी ताकतों जिस प्रकार से दबाव बनाने का खेल खेल रही है, उसके आगे सरकार घुटने टेक रही है।

यह बात भी समझदारी की होगी कि एक सेक्युलर ढांचे के रूप में यदि सरकार द्वारा दी जा रही हज सब्सिडी का विरोध नहीं होता

है तो सरकार एसएएसबी को की गई भूमि आवंटन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर क्यों डगमगाती दिखाई पड़ रही है? सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जब कभी भी लाखों तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं को सुविधा देने का मामला सामने आता है तो सरकार को किसी मजहब या सम्प्रदाय के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।

मुझे आशा है कि आप इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और फिर राज्य सरकार को इस वर्तमान गतिरोध को समाप्त करने का निर्देश देंगे। यदि सरकार वर्तमान संकट का समाधान करने में विफल रहती है तो इससे न केवल विवाद और भी अधिक बढ़ जाएगा बल्कि उन ताकतों को भी मजबूत करेगा जो भारत की एकता और अखण्डता के दुश्मन हैं।

■

जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया जाय : वेंकैया नायडू

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू ने मुंबई में आयोजित प्रेस सम्मेलन में में कहा कि जम्मू-कश्मीर में 'आजादी आंदोलन' के कारण वर्षों तक भेदभाव, उपेक्षा व घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों के पलायन के कारण जम्मू में ऐसे हालात बने। राष्ट्रीय एकता के नाम पर हमने ६० वर्ष खपाए। जिन्होंने अलग होने की धमकी देकर राष्ट्र को ब्लैकमेल किया, उन्हें दुलारा गया और जो निष्ठावान थे उनकी उपेक्षा की गई। यह जम्मू क्षेत्र के लोगों की प्रतिक्रिया का परिणाम है।

श्री नायडू ने जम्मू की उपेक्षा का सवाल उठाते हुए कहा कि है कि जम्मू क्षेत्र की आबादी व क्षेत्रफल ज्यादा होने के बाद भी राज्य विधानसभा में घाटी की अपेक्षा उनकी सीटें कम हैं। वे क्यों ८० प्रतिशत सरकारी नौकरी पाने में सफल रहते हैं। घाटी से लाखों कश्मीरियों के भगाए जाने पर राजनैतिक दल मौन क्यों हैं?

इस समय यह हो-हल्ला क्यों मचा हुआ है जब हम देश भर से आए हुए लाखों श्रद्धालुओं के लिए साल भर में सिर्फ २ माह की सुविधा चाहते हैं? पहली बार जम्मू ने देश को झकझोर दिया है। यह कोई अचानक उबाल नहीं था, बल्कि वर्षों से उपजे असंतोष का नतीजा है। घाटी ने लगातार राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया है और जम्मू के लोग महसूस करते हैं कि अब उनकी बारी है और वे खामियों को दूर करना चाहते हैं। असंतोष दशकों से जारी है और अमरनाथ सबसे ताजा मामला है। संघर्ष समिति के तहत वे एकजुट हुए। उनकी शिकायतों का समाधान ही एकमात्र विकल्प है। यह हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। यह कश्मीर में तिरंगा उठाए राष्ट्रभक्तों व अलगाववादियों

के बीच की लड़ाई है।

उन्होंने केंद्र के दिशा-निर्देश पर जम्म-कश्मीर सरकार द्वारा श्री अमरनाथ श्राइनबोर्ड को आवंटित की गई जमीन को रद्द करने का निर्णय कट्टरपंथियों व छद्म पंथनिरपेक्षवादियों के समक्ष संपूर्ण समर्पण बताया।

उन्होंने कहा कि आवंटित जमीन को रद्द करके कांग्रेस ने यह दिखा दिया है कि वह घाटी में कट्टपंथियों के साथ मिलकर धार्मिक उन्मादी माहौल पैदा कर रही है। उसने दिखा दिया है कि उसे देश की बहुसंख्यक आबादी (हिंदू) की कोई परवाह नहीं है। जम्मू के लोग तथा भारतीय जनता पार्टी श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड को आवंटित जमीन वापिस लेने की घृणित कार्रवाई के खिलाफ हैं। राज्य सरकार द्वारा दशकों तक हिंदुओं की उपेक्षा व कष्ट तथा केवल घाटी पर ध्यान केंद्रित करने से उभरे असंतोष व जम्मू के संकल्प को कम नहीं आंका जाना चाहिए। भूमि हस्तांतरण विवाद पूरी तरह से जगजाहिर है। कांग्रेस-पीडीपी सरकार ने वन विभाग द्वारा श्राइन बोर्ड को जमीन हस्तांतरित करने को कहा। पीडीपी मंत्री ने- जिसके अधीन वन विभाग था, मामले को कैबिनेट में लाया। उच्च न्यायालय ने भूमि हस्तांतरण की पुष्टि की। श्राइन बोर्ड २ करोड़ रुपये अदा कर भूमि को अधिकार में लिया।

श्री नायडू ने कांग्रेस, पीडीपी और हुर्रियत कांफ्रेंस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस सहयोगी पीडीपी के साथ अलगाववादियों ने यह कहते हुए विरोध करना शुरू कर दिया कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए जमीन नहीं दी जानी चाहिए। हुर्रियत कांफ्रेस ने तीन अफवाहें फैलाई। पहला, जमीन हस्तांतरण से कश्मीर अलग-थलग पड़ जाएगा। दूसरा, मुस्लिम कश्मीर में हिंदू संस्कृति का अतिक्रमण होगा और तीसरा, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। केंद्र के दिशा-निर्देश पर गवर्नर ने एकतरफा घोषित किया कि भूमि की कोई जरूरत नहीं है और उनके पास इस तरह की शक्तियां नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन की मांग उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के स्रोतों के अनुसार कुल मतदाता ५६,१२,१४६ में से जम्मू क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या २८,६२,२६० है, जबकि घाटी के मतदाताओं की संख्या २५,४६,६१३ है। बचे हुए १,७२,६४६

मतदाता लद्दाख क्षेत्र के हैं। जम्मू का क्षेत्रफल २६,००० वर्ग किलोमीटर है, जबकि घाटी का १५,००० वर्ग किलोमीटर। जम्मू क्षेत्र में ३७ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र व २ लोकसभा सीटें हैं, वहीं घाटी में ४६ विधानसभा सीट व ३ लोकसभा सीट है। राजौरी में ५,००० व अवंतीपुरा में १५०० Kanals जमीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए दी गई है। सभी आवंटन मुफ्त किया गया है।

उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जब १०० करोड़ हिंदू तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अस्थाई तौर व पेंमेंट करके मात्र १०० एकड़ की मांग करते हैं न कि किसी मंदिर व भवन निर्माण के लिए, तो इसे इनकार कर दिया जाता है। यह संपूर्ण देश, राजनैतिक दलों, बुद्धिजीवियों और मीडिया के लिए तात्कालिक जरूरत है कि हिंदुओं व जम्मू के लोगों की आहत भावना को समझें।

श्री नायडू ने समाधान का रास्ता सुझाते हुए कहा कि श्राइन बोर्ड को जमीन वापस की जाय। जम्मू-कश्मीर राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया जाय और जम्मू क्षेत्र के लोगों की रोजगार, विकास व सरकार में भागीदारी की शिकायतों का निवारण किया जाय।

■

विशेष साक्षात्कार

'उदारवादी' अलगाववादियों के पक्ष में क्यों : अरूण जेटली

सीएनएन, आईबीएन चैनल पर 'डेविल्स एडवोकेट' कार्यक्रम के प्रस्तोता श्री करण थापर और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरूण जेटली के बीच की बातचीत के प्रसारित अंशों का हिन्दी भावान्तरण प्रस्तुत है:–

करण थापरः आइए, हम पहले अपनी बात जम्मू में भाजपा की भूमिका से शुरू करें। आप कैसे इस बात को उचित बताएंगे कि जो पार्टी राष्ट्रवादिता का उपदेश देती है वह क्यों जानबूझ कर ऐसी नीति पर चल रही है जिससे काश्मीर घाटी में अलगाववाद की ज्वाला भड़क रही है?

अरूण जेटलीः मेरे विचार में आप इस तरह का प्रश्न पूछ कर बहुत ही भोले बनने का ढोंग कर रहे हैं। क्या आप सचमुच गम्भीरता से समझते हैं कि घाटी के अलगाववादियों ने जमीन मुद्दे को लेकर फिर से अलगाववादी आंदोलन की शुरूआत की है?

करण थापरः बिल्कुल!

अरूण जेटलीः बिल्कुल नहीं!

करण थापरः जमीन मुद्दे को लेकर उन्हें यह अवसर दिया गया।

अरूण जेटलीः बिल्कुल नहीं, हमें इतने भोले नहीं बनना चाहिए। हम पिछले साठ सालों से बड़े भोले बनते रहे हैं-- जो लोग इस विचार को मानते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं आपको जवाब दूंगा। पहले तो अलगाववादियों ने पूरे देश के सामने, बल्कि पूरे विश्व के सामने झूठ बोला कि घाटी में हिन्दू उपनिवेश फैलाया जाएगा। घाटी में ऐसा कोई नहीं था, यहां तक कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार ने भी उस प्रचार का प्रतिवाद नहीं किया।

अलगावादियों ने यह कह कर पूरे विश्व के सामने झूठ बोला कि

वहां आर्थिक नाकाबंदी लगी है। किसी ने भी उसका प्रतिवाद नहीं किया। हम ही लोग है जिन्होंने इसका प्रतिवाद किया। और आज हम ही लोग है जो कह रहे हैं भूमि का हस्तांतरण हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसरण में राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाए कानून के अनुसार किया जाए। इसको कार्यान्वित क्यों न किया गया?

करण थापरः ठीक है, आपने अपनी बात कही और बिना किसी व्यवधान के अपनी बात कही। अब मैं आपको जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि केवल अलगाववादियों ने जमीन हस्तांतरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस ने भी की, जो अलगाववादी नहीं हैं।

अरूण जेटलीः यही तो त्रासदी है।

करण थापरः फिर भी यह तथ्य है।

अरूण जेटलीः यह दुख पहुंचाने वाला तथ्य है।

करण थापरः फिर भी यह तथ्य तो है ही। दूसरी बात यह है कि वहां नाकाबंदी थी। जम्मू-कश्मीर सरकार के हार्टिकल्चर विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों ने सिद्ध किया है कि इस वर्ष १ अगस्त और १७ अगस्त के बीच श्रीनगर से बनिहाल के बीच केवल ८६८ ट्रक पहुंचे जबकि उन्हीं तारीखों में पिछले वर्ष २१४८ ट्रक पहुंचे जो साठ प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

अरूण जेटलीः आइए, हम इस बात को साफ कर लें। यदि ५० दिनों तक बंद और कर्फ्यू रहता है, यदि ३० दिनों से अधिक घाटी में कर्फ्यू रहता है तो व्यापार में गिरावट होनी ही होनी है। आप समझिए, मैं खुद घाटी गया था। हमने आर्मी और जिला प्रशासन से पूछा कि क्या स्थिति है। उन्होंने हमें रोजमर्रा के आंकड़े दिए। यह सेब का मौसम नहीं था।

उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाक में कुछ नहीं है और आज सब्जी मण्डी में ६० ट्रक इंतजार में है और वहां उनमें लोड करने को कुछ भी नहीं है। यह झूठा प्रोपेगेण्डा है। बंद और कर्फ्यू के कारण आवाजाही में गिरावट आएगी ही। आवाजाही में गिरावट का कारण कोई आर्थिक नाकेबंदी नहीं थी।

करण थापरः आवाजाही में गिरावट का कारण यह था कि पंजाब सरकार में आपके मंत्री मनमोहन कालिया और मोहनलाल

माधोपुर में सक्रिय रूप से नाकेबंदी कर रहे थे। दोनों पठानकोट में रूके हुए थे। और भी खास बात यह है कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर में व्यक्तिगत रूप से ट्रक आने से रोके रखा। आप इससे इंकार नहीं कर सकते।

अरूण जेटलीः यह एकदम गलत है।

करण थापरः उन्होंने तो इंकार नहीं किया, आप कैसे कर सकते हैं।

अरूण जेटलीः मैं इस कारण इंकार कर रहा हूं क्योंकि जम्मू और पंजाब में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे जिससे यातायात में रूकावट हो रही थी। पंजाब में भाजपा और अकाली दल ने निजी रूप से हस्तक्षेप किया और कहा किसी भी सड़क पर तो विरोध प्रदर्शन हो, सकता है परन्तु राजमार्ग पर नहीं क्योंकि इससे यातायात में बाधा पड़ती है। विरोध प्रदर्शन के कारण किसी सड़क पर रूकावट नाकाबंदी नहीं है।

करण थापरः आपकी बात गलत है। आपके अपने विधायक दिनेश कुमार बाबू ने कहा, उन्होंने इस बारे में बड़ी शेखी हांकी। उन्होंने कहा कि मैंने आंदोलन का नेतृत्व किया और हम पंजाब से किसी ट्रक को जम्मू और कश्मीर नहीं जाने देंगे।

अरूण जेटलीः एक दिन विरोध प्रदर्शन के कारण समस्या हुई थी। उन्हें बता दिया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग से हट कर विरोध प्रदर्शन किए जाएं।

करण थापरः सच बात यह है कि ड्रग कन्ट्रोलर को औषधियां विमान से ले जाने की अपील करनी पड़ी, ऐसा उन्होंने औपचारिक रूप से किया। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर ने आल इण्डिया फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से अन्य शहरों से सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए लिखा था।

अरूण जेटलीः फिर, यह अर्ध सत्य है।

करण थापरः यह पूरा सच है।

अरूण जेटलीः अर्ध सत्य! क्योंकि ड्रग कन्ट्रोलर और डिवीजन कमिश्नर ने आल पार्टी कमेटी के सामने पेश होने पर कहा था कि इन दवाइयों के वितरक तो जम्मू में ही हैं। क्योंकि जम्मू में कर्फ्यू और बंद था, इसलिए वहां जा नहीं सकते थे, इसलिए मैन्युफैक्चरों को सीधे

घाटी में सप्लाई करनी चाहिए। अब यह बात किसी नाकाबंदी के कारण नहीं हुई।

करण थापरः नहीं, मुझे लगता है कि यह अर्ध सत्य है।

अरूण जेटलीः मैंने खुद डिवीजनल कमिश्नर से यह बात सुनी, आपने तो नहीं सुनी। डिवीजनल कमिश्नर ने आल पार्टी डेलीगेशन को बताया कि जम्मू में बंद और कर्फ्यू के कारण बाधा पडी, इसलिए हमने मैनयुफैक्चरर को कहा और हमारे पास कभी भी सप्लाई की कमी नहीं थी।

करण थापरः इस अर्धसत्य का कारण क्या था, इसका उत्तर आपने नहीं दिया- यह बाधा वहां क्यों पड़ी उसका कारण यह है- ड्राइवरों को वहां से क्रास करने में डर लगता था। रामबाण में, ट्रैफिक रोका गया, इस कारण वहां नाकाबंदी रही, इसी कारण लोगों की आजीविका का कष्ट सहना पड़ा।

अरूण जेटलीः फिर यह भी तथ्यों की आंशिक और प्रदूषित प्रस्तुति है। तथ्य यह है कि दोनों तरफ से ड्राइवरों को पार करने में डर लगता था और इसलिए सुरक्षा की जरूरत थी और हमें बताया गया था कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही थी।

करण थापरः तो इसी कारण घाटी कट-आफ रही और बाद में इसी कारण अलगाववादियों की ज्वाला भड़की।

अरूण जेटलीः घाटी कभी भी कट-आफ नहीं रही। वहां ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में फलों का एक भी पैकेट नहीं था। डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि उनके पास घाटी से सीधे लाई गईं दवाइयों की पर्याप्त सप्लाई थी।

करण थापरः माफ कीजिए, परन्तु कश्मीर चैम्बर आफ कामर्स के प्रेजीडेण्ट ने कहा है कि यदि कश्मीर में फ्रूट इण्डस्ट्री २५०० रूपए मूल्य की है तो इसे एक हजार करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है, यानी लगभग ४० प्रतिशत का।

अरूण जेटलीः मोहन शाह तो हुर्रियत का हिस्सा है। उन्होंने आल पार्टी डेलीगेशन से मिलने से इंकार कर दिया था। वह मुजफ्फराबाद जाने वाले ट्रकों की अगुवाई कर रहे थे। वह सब्जी मण्डी में ट्रक लोड करने से रोक रहे थे, जिन्हें डिवीजनल कमिश्नर ने वहां लगाया था। वहां नब्बे ट्रक लगाए गए थे। उन्होंने इन्हें लोड करने से रोका। हमें

उनके बयान को सही नहीं मानना चाहिए।

करण थापरः ठीक है, चलो इस ''तू-तू - मैं-मैं'' को छोड़ें और दूसरे तथ्यों पर नजर डालें। आप जानते हैं कि कश्मीर भारत के अन्य राज्यों से अलग किस्म का राज्य है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। यदि आप लाहौर घोषणा को लें जिस पर आपकी सरकार ने हस्ताक्षर किए, यह एक अनसुलझा विषय है।

ऐसी परिस्थितियों में, मुजफ्फराबाद सीमा के खोलने का आह्वान करते हुए नाकेबंदी पर जोर देना, आग में घी डालने जैसा होगा। आपने वही किया। आपने भावनाओं को भड़काया, जो छुपी हुई थीं। आपने अलगाववादी आंदोलन खड़ा कर दिया।

अरूण जेटलीः अलगाववादियों द्वारा फैलाए गए झूठ को महत्व न दें जो नाकेबंदी की बात कहते हैं। आर्मी कहती है कि कोई आर्थिक नाकेबंदी नहीं थी; सरकार कहती है कि कोई नाकेबंदी नहीं थी और संघर्ष समिति ने हमें बताया कि कभी भी नाकेबंदी नहीं हुई और न ही नाकेबंदी होगी।

करण थापरः तो फिर कैसे दुकानदार दवाइयों और सब्जियों की कमी की शिकायत कर रहे हैं?

अरूण जेटलीः डिवीजनल कमिश्नर ने निजी तौर पर हमें बताया कि जहां तक अस्पतालों की बात है, वहां दवाइयों की कमी नहीं हुई। राज्यपाल ने यह बात मानी है। हमें हुर्रियत के प्रोपेगेण्डा में नहीं आना चाहिए।

करण थापरः मैं हुर्रियत के प्रोपेगेण्डे में नहीं आ रहा हूं। मैं तो वह कह रहा हूं जो, 'इण्डियन एक्सप्रेस', 'टाइम्स आफ इण्डिया' और 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने प्रकाशित किया है।

अरूण जेटलीः मैं वह कह रहा हूं जो जिला प्रशासन, अस्पताल, आर्मी और प्रशासन हमें बता रहा है। मैं आपको एक बात और कहूं। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है। विभाजन और हमारी स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान का यह अधूरा एजेण्डा हो सकता है।

करण थापरः आपकी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित लाहौर घोषणा में कहा है कि यह एक ''आऊटस्टैण्डिंग'' मुद्दा है। आपकी आपनी सरकार ने यह कहा है।

अरूण जेटलीः केवल ''आऊटस्टैण्डिंग'' मुद्दा यह है, मैं इसे फिर दोहरा रहा हूं, कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत किसी भी हालत में अपने इस क्षेत्र की एक इंच भूमि के साथ न तो कोई समझौता करेगा और न ही देगा।

करण थापरः यह आपकी व्याख्या हो सकती है, परन्तु तथ्य यही है कि विश्व कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है। सरकार ने कई अवसरों पर कहा है कि इसका अंतिम समाधान होना है।

अरूण जेटलीः चालीस के दशकों के उत्तरार्ध और पचास के आरम्भिक दशकों में भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण कुछ मुद्दों का अंतर- राष्ट्रीयकरण हुआ। पिछले कुछ वर्षों में विश्व मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का इच्छुक नहीं है।

करण थापरः परन्तु आपकी सरकार ने इसे स्वीकार किया है।

अरूण जेटलीः विशेषरूप में ९/११ घटना के बाद से, विश्व अलगाववादी संगठनों की इस तरह की बात नहीं सुनना चाहता है, जिन्होंने अलगाववाद को साधन बना कर हिंसा का सहारा लिया हैं।

करण थापरः अब हम मूल मुद्दे पर आएं, जिस पर आप ध्यान नहीं देना चाहते और वह यह है कि पिछले दस वर्षों से लगातार अलगाववादी आंदोलन धीमा पड़ता जा रहा था। इस वर्ष रिकार्ड स्तर पर पर्यटक आए। और फिर भी, भाजपा में जम्मू में आर्थिक नाकेबंदी ने क्या किया? इससे भड़की अलगाववादी रूख इस हद तक बढ़ा कि आज अलगाववादी आपके शुक्रगुजार हो रहे हैं। सैय्यद अली शाह गिलानी, सबसे अधिक कट्टर मुसलमान हैं, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि ''मैं भाजपा का शुक्रगुजार हूं कि उसने ''उस आंदोलन को फिर से जीवित कर दिया जो धीमा पड़ता जा रहा था।''

अरूण जेटलीः मैं नहीं समझता कि हमें उनकी प्रशंसा या धन्यवाद की आवश्यकता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने जम्मू में अमरनाथ संघर्ष समिति की मांग का केवल समर्थन किया और उनकी ठीक-ठीक मांग यह है। लाखों पर्यटक यहां आते हैं, श्राइन बोर्ड का कर्त्तव्य है कि कानून के अनुसार वह तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं बनाए रखे।

श्राइन बोर्ड को कानूनी रूप से कुछ जमीन हस्तांतरित की गई,

जिसे यात्रा के समय उपयोग किया जाना था। और यदि भारत सरकार अलगाववादियों के दबाव में आना शुरू कर देती है तो यह सही नहीं है।

करण थापरः क्या यह तथ्य नहीं है कि जिस बात को मैं कह रहा हूं, उस अमरनाथ मांग का आपने समर्थन किया, बल्कि जिस ढंग से समर्थन किया, उस समर्थन के परिणाम आपके सामने हैं। आपने घाटी को अलग-थलग कर दिया; आपने काश्मीर के लोगों में यह भावना पैदा कर दी कि उनका उससे कोई वास्ता नहीं है।

परिणाम यह हुआ कि आपने उनमें आजादी और अलगाव की इच्छा भरने की प्रेरणा दी। जो आंदोलन खामोश था, उसे फिर से जीवित कर दिया। अचानक ही, आपने पूरी घाटी में यह आवाज भर दी- 'जीए' 'जीए' पाकिस्तान, भारत तेरी मौत आयी।' और आपकी नाकेबंदी ही एक मात्र इसके लिए जिम्मेदार है।

अरूण जेटलीः नहीं, मैं पूरी तरह से आपके सुझाव को अस्वीकार करता हूं। आपका कहना और सुझाव यह है कि नाकेबंदी के कारण यह हुआ जो अलगाववादियों का फैलाया हुआ, प्रोपेगेण्डा है। यह बात मैं ही नहीं, बल्कि वे जर्नलिस्ट भी इसका समर्थन करते हैं जिन्हें आर्मी ने हैलीकोप्टरों से वहां लाया गया था।

करण थापरः जो यहां रहते हैं उन जर्नलिस्टों के बारे में आपका क्या ख्याल है?

अरूण जेटलीः कैमरे झूठ नहीं बोलते, लोग भले ही झूठ बोलते हो और मैंने कैमरे पर देखा है कि यहां कोई नाकेबंदी नहीं थी।

करण थापरः कैमरों पर हजारों कश्मीरियों ने पाकिस्तानी झण्डे लहराते दिखाए, आजादी की मांग की; प्रशासन ध्वस्त होता दिखाया। आप ही उसका कारण हैं।

अरूण जेटलीः कैमरों पर चार लाख लोगों को राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए देखा है और जम्मू में गिरफ्तारी देते हुए देखा है, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से कहा गया है कि हमें तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए जमीन दे दो।

करण थापरः परन्तु क्या आप इस मांग का समर्थन बिना नाकेबंदी के भी कर सकते थे?

अरूण जेटलीः नाकेबंदी थी ही नहीं। नाकेबंदी की झूठी बात तो

आईएसआई ने (पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी) फैलाई और हुर्रियत ने उसका समर्थन किया। और इसीलिए मैं प्रत्येक भारतीय जर्नलिस्ट से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे संगठन द्वारा फैलाए गए झूठ पर विश्वास न करें। मैं प्रत्येक भारतीय जर्नलिस्ट से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे झूठ की विश्वसनीयता पर ध्यान न दें।

करण थापरः इस तथ्य को छोड़ कर कि घाटी में इस पर सब विश्वास करते हैं और भी मैं कुछ उद्धृत करना चाहूंगा।

अरूण जेटलीः आर्मी, जिला प्रशासन और राज्य सरकार भारत सरकार ने इसका खण्डन कर दिया है। और आपके पास अपने शब्दों के खिलाफ ही ये शब्द हैं।

करण थापरः इस तथ्य को छोड़कर कि लश्करे तोयबा (एलईटी) के इंफार्मेशन सेक्रेटरी भी उनमें से एक थे जो आपकी पार्टी के शुक्रगुजार हैं। मैं आपको उद्धरण दूं जो उन्होंने कहा।

अरूण जेटलीः हुर्रियत और एलईटी के शब्द आपके लिए अहमियत भले रखते हो, परन्तु उनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है।

करण थापरः दुर्भाग्य से, घाटी के लोगों के लिए उनका महत्व है।

अरूण जेटलीः यह दुख की बात है। घाटी के लोगों के लिए भी इनकी अहमियत नहीं होनी चाहिए, यही बात हमने संयुक्त रूप से मिलकर तय की है।

करण थापरः आप ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिससे इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। आप प्रभाव को आंक नहीं पा रहे हैं, आप तो इसमें इजाफा कर रहे हैं।

अरूण जेटलीः हम तो ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिससे घाटी के लोग ऐसी मांग न करें जिसका अलगाववादी स्वरूप हो और भारत सरकार को ऐसी मांग के आगे नहीं झुकना चाहिए जो अलगाववाद को जन्म देती हो।

करण थापरः परन्तु ध्यान दीजिए कि आपने अलगावादी भावनाओं को भड़काया है। यही बात एलईटी के इंफार्मेशन सेक्रेटरी ने कही है। उनका कहना हैः ''भाजपा हमें 'सूट' करती है। एलईटी को भाजपा की भावनाओं के कारण लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।' फिर वह कहते हैं- 'हम खुदा से दुआ करते हैं कि वे फिर से सत्ता में आ जाएं।

तब हम और भी मजबूत बन कर उभरेंगे।' जो बात पाकिस्तान साठ वर्षों में नहीं कर पाया, आपने छह हफ्तों में कर दिखाई।

अरूण जेटलीः हम केन्द्र की सत्ता में छह वर्ष रहे। हमने शांति प्रक्रिया शुरू की और कश्मीर को शांति की दिशा में ले गए।

करण थापरः और अब आप इसे पाकिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं।

अरूण जेटलीः मुझे अफसोस है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि यदि अलगाववादी कोई मांग रखते हैं तो आप राष्ट्रवादियों की महत्वाकांक्षाओं को मत कुचलिए।

करण थापरः बिना सोचे समझे और सिर्फ इसीलिए कि आपको केवल अपनी पार्टी का हित साधना है, आप फिर से जम्मू को घाटी से अलग विभाजन की तरफ ले जाना चाहते हैं।

इससे भी बड़ी बात सोची नहीं जा सकती कि इन्हीं परिस्थितियों में आपके पूर्व पार्टी अध्यक्ष वेंकैया नायडू अब यह कह रहे हैं कि जम्मू का प्रतिनिधित्व कम है और राजनैतिक व्यवस्था में जम्मू के साथ अनुचित बर्ताव हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य विधान सभा में जम्मू को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। क्या इस तरह की बात करने का इस तरह की बात करने का यह सही समय है, जब इस तरह के राजनैतिक, संवेदनशील मुद्दों को उठाया जाना चाहिए?

अरूण जेटलीः पहले हम तथ्यों को समझ लें। आज, जम्मू में संख्या के लिहाज से मतदाताओं की संख्या कहीं अधिक है और फिर भी विधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व कम है। जहां तक राज्य सरकार का सम्बंध है वहां उनकी नौकरियां कम हैं। कॉलेजों में उनके दाखिलों की संख्या कम है। अब जम्मू का पूरा आंदोलन जमीन-मुद्दे के कारण हो रहा हो परन्तु लोगों में यह भावना बहुत हद तक फैली है कि जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार को किसी स्तर पर तो इस भेदभाव की भावना का समाधान करना ही होगा।

करण थापरः एक बार फिर मैंने आपको तथ्यों को प्रस्तुत करने दिया, जिसे आप अपने ढंग से देखते हैं, परन्तु मुझे अफसोस है कि वे सभी गलत हैं। सचाई यह है कि यदि आप पंजीकृत मतदाताओं के लिहाज से चलें तो निःसन्देह जम्मू में कहीं अधिक मतदाताओं की संख्या है परन्तु आप और मैं जानते हैं कि घाटी में उग्रवादिता के

कारण वहां बड़े पैमाने पर कम-पंजीकरण हुआ है। इसलिए कुल आबादी में न जाकर निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन हुआ है।

अरूण जेटलीः मुझे लगता है, यह बात तो बड़ी हास्यास्पद है।

करण थापरः यदि आप कुल आबादी पर जाएं तो आप पाएंगे कि काश्मीर में ४६ विधायक है और जम्मू में ३७ विधायक हैं, परन्तु प्रत्येक विधायक के पीछे दो क्षेत्रों में १,१६,००० लोगों को लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह विभाजन पूरी तरह से नियमों के अनुसार हुआ है। यह अनुचित नहीं है, पूरी तरह से न्यायसंगत है।

अरूण जेटलीः अब आपने अपनी बात कह ली, इस तरह की खबर 'हिन्दू' में प्रकाशित हुई थी। वहां से आपने यह आंकड़े लिए हैं। अब आपको सही तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए। १६५१, जम्मू और कश्मीर में कोई जनगणना नहीं हुई। १६६१, काश्मीर में जम्मू से तीन लाख लोग अधिक थे। १६७१ में भी, यहां तीन लाख लोग अधिक रहे। फिर १६८१ में, यहां चार लाख लोग अधिक रहे। १६६१ में, कोई जनगणना नहीं हुई। इसलिए १६८१ से चार लाख लोग अधिक रहे। परन्तु १६८१ तथा २००१ के बीच, कश्मीरी पण्डितों को बाहर निकाला गया, सिक्खों को भी निकाला गया और यहां तक कि कुछ धनी मुस्लिमों को भी निकाला गया क्योंकि वे वहां असुरक्षित महसूस करते थे।

अतः जम्मू की आबादी बढ़ जाती। इसकी बजाए २००१ की जनगणना में, जो कि धांधले वाली जनगणना थी, जिसे मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिसमें घाटी में ग्यारह लाख लोगों को अधिक दिखाया गया। होने कम चाहिए थे। इस तरह निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम घर-घर जाएंगे और मतदाताओं का पंजीकरण करेंगे। उग्रवादिता में, आप आबादी के रूप में लोगों का पंजीकरण कर सकते हैं, आप मतदाताओं का भी पंजीकरण कर सकते हैं और अचानक ही आपको पता चलता है कि जम्मू में मतदाताओं की संख्या अधिक है। आज असंगत स्थिति है जहां २००१ की जनगणना के जरिए घाटी में अधिक पंजीकृत लोग है परन्तु प्रभावी रूप से ढाई लाख कम मतदाता हैं।

करण थापरः बड़ी रोचक बात है कि आज आप २००१ की जनगणना को धांधली वाला बता रहे हैं। उस समय आप सत्तारूढ़ सरकार में थे। तब आपने घोषणा के समय चिंता क्यों नहीं जताई?

आपने यह संदेह पहले क्यों नहीं प्रगट किए?अब आप सुविधानुसार इसे आज क्यों उठा रहे हैं?

अरूण जेटलीः जब तथ्यों से आपका तर्क और दावे झूठे निकलते हैं तो आप कहते हैं कि हमने इससे पहले क्यों यह चिंता प्रगट नहीं की।

करण थापरः यह तथ्य तो आपकी व्याख्या हैं। यह आपकी व्याख्या है, आकंडे नहीं।

अरूण जेटलीः मैं आपको १९६१ से २००२ तक के आंकडे दे रहा हूं।

करण थापरः २० वर्षों में आबादी बदल सकती है।

अरूण जेटलीः डोडा, किश्तवार और भीलवाडा की आबादी में, जो जम्मू के मुस्लिम बहुल जिले थे, परिवर्तन नहीं आया, परन्तु घाटी की आबादी में परिवर्तन हो गया।

करण थापरः यदि न्यूयार्क की आबादी बिजली फेल होने से १२ घण्टों में बदल सकती है और आप जानते हैं कि ऐसा हुआ भी, निश्चित ही आबादी में बदलाव आ सकता है।

अरूण जेटलीः यदि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो लोग घाटी से बाहर गए हैं, न कि घाटी में आए हैं। इसलिए आबादी में ग्यारह लाख कम होने चाहिए, न कि बढ़ने चाहिए।

करण थापरः परन्तु अब चिंता क्यों हो रही है, उस समय क्यों नहीं हुई जब आप सत्ता में थे।

अरूण जेटलीः मुझे अफसोस है। यह मुद्दा हर स्तर पर उठा है। जम्मू के लोग इसे उठा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री राउण्डटेबल के वर्किंग ग्रुप का हिस्सा था। मैंने वहां भी लिखित में इसे उठाया था।

करण थापरः तथ्यों को एक तरफ रखिए क्योंकि व्याख्या में मतभेद होगा ही।

अरूण जेटलीः व्याख्या की बात नहीं है। यह तो आंकड़े हैं।

करण थापरः आप जानते हैं कि चर्चिल ने आंकड़ों पर क्या कहा था.... यह झूठ बोलते हैं और झूठ को धिक्कार है।

अरूण जेटलीः जो भी हो जम्मू में ढाई लाख अधिक मतदाता हैं, घाटी में और लोग कहां से आए?

करण थापरः परन्तु ऐसे नाजुक समय में जब घाटी भड़की हुई

है और जम्मू तथा कश्मीर के बीच मतभेद बहुत अधिक है तो अब इसे क्यों उठाया जाए?

अरूण जेटलीः लगता है आपका दिल घाटी के लिए तो धड़कता है, जम्मू के लिए आपके दिल से धड़कन गायब हो जाती है।

करण थापरः मेरा दिल तो भारत के लिए धड़कता है। आपका दिल भारत के लिए नहीं धड़कता है। आपका दिल केवल भाजपा के लिए ही धड़कता है।

अरूण जेटलीः आपका विजन और नीतियां कश्मीर में कुछ हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार हैं। जहां तक जम्मू का सम्बंध है, यह तो भेदभाव के कारण चीत्कार कर रहा है और यह भेदभाव के लिए बहुत मजबूत आधार है और आप इस भेदभाव में रहकर इस लोकप्रिय बहस को बंद करना चाहते हैं।

करण थापरः यह लोकप्रिय बहस नहीं है। यह तो भाजपा जानबूझ कर चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए राजनैतिक स्थिति का हित साधना चाहती है।

अरूण जेटलीः मुझे भय है कि यदि आंकड़े जम्मू के अनुकूल हैं तो वहां के लोग आहत होंगे।

करण थापरः आप जम्मू बैण्ड वैगन में घुसने के विश्वास में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप अगले चुनावों की अपनी चुनावी संभावनाओं को सुधारने में लगे हैं। आपको देश की परवाह नहीं है। मैं आप पर देश से पहले भाजपा को आगे रखने का आरोप लगाता हूं।

अरूण जेटलीः मैं देश को आगे रखता हूं और इसीलिए मुझे ६० वर्षों की नीति– कश्मीर पर अलग नीति– पर गहरी चिंता है, जिसने अलगाववाद के आंदोलन को पैदा किया। मेरे विचार में एक दिन इतिहास इस बात पर कठोर निर्णय देगा कि क्या कश्मीर पर नेहरू का विजन सही था या डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी का विजन सही था? मुझे विश्वास है कि हम दोनों ही उस निर्णय का इंतजार करेंगे।

करण थापरः मुझे खुशी है कि आपने आज इतिहास की बात कही। बहुत से लोगों का विचार है कि भारत हमेशा के लिए घाटी को हमेशा के लिए गंवा बैठने की कगार पर खड़ा है। यदि ऐसा हुआ तो इतिहास यह निर्णय देगा कि भाजपा ही वह पहली संस्था है जिसने

काश्मीर को इस्लामाबाद की बाहों में डाल दिया।

अरूण जेटलीः ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात को पूरी दृढ़ता से मानते हैं कि उन अलगाववादियों के लिए आजादी का स्वप्न देखना भी दूर की बात है, क्योंकि यह एकदम असम्भव है। भारत अपने क्षेत्र की एक इंच भूमि के साथ कभी समझौता नहीं करेगा और न ही करना चाहिए।

करण थापरः त्रासदी यही है कि भले ही यह स्वप्न दूर का हो परन्तु यह वास्तविकता है।

अरूण जेटलीः मैं तो दोष मढ़ने के खेल में भी पड़ना नहीं चाहता हूं हालांकि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कांग्रेस को आज अपनी ६० वर्षों की गलती को सुधार लेना चाहिए।

करण थापरः अच्छा, मि. जेटली, आपसे अलविदा लेता हूं। आपसे 'डेविल्स एडवोकेट' में बात कर बहुत खुशी हुई।

■

वोट के लिए आस्था पर चोट, बर्दाश्त नहीं !

i:Hkkr >k

अब यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस भारत के पंथनिरपेक्ष स्वभाव पर निरंतर खतरा उत्पन्न कर रही है। भारत के बहुसंख्यकों की आस्था पर निरंतर चोट करते रहना जैसे मानो कांग्रेस का शगल बन गया हो। पता नहीं बहुसंख्यकों का अपमान करने में कांग्रेस क्यों आनन्द महसूस करती है। तुष्टिकरण के चरणों में इस तरह लोट-पोट करना भारत की सामाजिक सद्भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाने की साजिश ही कही जा सकती है। कांग्रेस ने भारत के पंथनिरपेक्षीय चरित्र को खतरा उत्पन्न कर दिया है।

पूर्व में शाहबानो प्रकरण से लेकर मजहबी आरक्षण, वंदेमातरम् का विरोध, शिक्षा के पाठ्यक्रम में फेरबदल, बजट का सांप्रदायीकरण, सच्चर कमिटी, मजहबी आधार पर वजीफा देने का निर्णय जैसे अनेक मसले पिछले साढ़े चार वर्षों में देश के सामने उभरकर आए हैं। आतंकवादियों के प्रति मजहबी आधार पर सोच, अफजल को फांसी देने के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी सरकार की ढुलमुल नीति, रामसेतु तोड़ने की बात आखिर इन घटनाओं से हम देश को क्या संदेश देना चाहते है?

श्रीराम जन्मभूमि के मसले को लेकर जब देशभर में बहुसंख्यकों की मानसिकता के साथ जुल्म-ज्यादती की गई तो उसका परिणाम ६ दिसम्बर १९९२ को देखने को मिला। किसी भी आस्था के प्रश्न पर जब बार-बार चोट की जाएगी तो उसकी प्रतिक्रिया कभी सकारात्मक नहीं हो सकती। वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस और कितना गिरेगी। यह सवाल देशवासियों के मन में खदबदा रहा है।

हम सभी जानते है आजादी के बाद पांच सौ से अधिक रियासतें देश में विलीन हो गई। लेकिन जम्मू-कश्मीर की रियासत पर नेहरूजी

ने जो रहम-करम दिखाया आज तक देश उसी का परिणाम भुगत रहा है। बंटवारे के बाद पांच करोड़ मुस्लिम भारत में रह गए वे आज पन्द्रह करोड़ हो गए पर जो तीन करोड़ हिन्दू पाकिस्तान में रह गए ३० हजार भी नहीं बचे है और जो हिन्दू बचे हैं उन्हें पाकिस्तान में जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ रहा है।

श्री अमरनाथ मंदिर का मसला सत्ता की तराजू पर नहीं तौला जा सकता। जो लोग कुर्सी के मोह में अमरनाथ मंदिर की आड़ में बहुसंख्यक समाज पर जिस तरह का प्रहार कर रहे हैं वह कश्मीर को हिन्दुविहीन करने का षड्यंत्र लगता है। किसने कहा था कि कैबिनेट की मीटिंग करो और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन दे दो जिससे यात्रियों के लिए मूलभूत व्यवस्थाएं हो सके। जब जमीन दे दी तो उस पर जो लोग राजनीति कर रहे है उनके प्रति कांग्रेस सहानुभूति क्यों जता रही है? क्या पीडीपी की शर्तों के आगे कांग्रेस ने समर्पण कर दिया है? क्या अमरनाथ मंदिर के प्रति जो देश में आस्था है उससे बड़ी गुलाम नबी की कुर्सी हो गई है? गुलाम नबी अपनी शर्तों पर क्यों डटे नहीं रहे? क्या बहुसंख्यक उनसे जमीन का टुकड़ा मांगने गया था? क्या अलगाववादी ताकतों की धमकियों के आगे जम्मू-कश्मीर की कांग्रेस सरकार को झुकना चाहिए? पीडीपी के नेता मुफ्ती मौहम्मद और उनकी बेटी महबूबा का बयान उन्हें भारतीय कहने का हक प्रदान करता है? क्या इस देश में किसी को भी कुछ भी कहने की छूट है? आखिर देश में संविधान है या नहीं? क्या आवंटित भूमि को वापस लेकर कांग्रेस ने अलगाववादियों के सामने समर्पण नहीं किया? क्या यह देश के करोड़ों बहुसंख्यकों का अपमान नहीं है? हुर्रियत कांफ्रेस के कथित उदारवादी अध्यक्ष मीर वायज उमर फारूख का यह कहना कि श्राइन बोर्ड को जमीन देकर सरकार कश्मीर में हिन्दू कॉलोनी बनाकर जनसंख्या अनुपात को बदलना चाहती है। क्या यह उचित बयान है? अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी का यह कहना कि बोर्ड को जमीन देकर गैर कश्मीरी हिन्दुओं को कश्मीर घाटी में बसाना साजिश है ताकि मुस्लिम समुदाय घाटी में अल्पसंख्यक हो जाय क्या यह कहना न्यायसंगत है? मुफ्ती मौहम्मद और उनकी पुत्री का एक कदम आगे बढ़कर कहना कि अमरनाथ यात्रा से प्रदूषण फैलता है कहां तक न्यायसंगत है? अमरनाथ यात्रा में कितने लोग जाएंगे या

नहीं जाएंगे क्या यह अलगाववादी नेता तय करेंगे? क्या अब तीर्थयात्राओं पर जाने पर रोक लगेगी?

सरकार की गलत नीतियों के कारण स्थिति भयावह हो रही है। इसकी प्रतिक्रिया जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में देखने को मिल रही है। श्राइन बोर्ड से जमीन वापिस लेना यह राष्ट्रविरोधी कदम है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी जाने वाली जमीन पर देशभर में उठे बवाल पर सिवाय भाजपा के और कोई दल क्यों नहीं बोल रहा? सोनिया गांधी और मनमोहन की चुप्पी को देशवासी क्या समझें?

भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देशभर में प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो कि उसका राष्ट्रीय कर्त्तव्य है, को सर्वत्र सराहा जा रहा है। यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से देश की एकता-अखंडता पर कांग्रेसियों द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रहार की एक और अगली कड़ी है। कम से कम मुती मौहम्मद को तो यह सोचना चाहिए कि इस देश की अवाम ने उसे गृहमंत्री बनाया था। क्या उन्हें और उनकी पार्टी को पाक परस्त अलगाववादी हाथों में खेलना चाहिए? वहीं क्या कुर्सी के लिए कांग्रेस को बाबा अमरनाथ को दांव पर लगा देना चाहिए? देश पीडीपी और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। भारत की पंथनिरपेक्षता अजर और अमर है। कांग्रेस उसका चरित्र कभी नहीं बिगाड़ सकती। अमरनाथ यात्रा पर हुए विवाद में जहां देशभर में लोग जगह-जगह पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वहीं देशवासियों को कांग्रेस का चरित्र पूरी तरह समझ में आएगा। पता नहीं क्यों कांग्रेस लगातार अपनी थू-थू कराने पर आमादा है?

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व सांसद हैं)

■

तुष्टिकरण की देशघाती होड़

cychj i|t

अहमदाबाद और सूरत में तबाही मचाने की साजिश रचने वाले मास्टर मांइड और उसके गुर्गों को गुजरात पुलिस ने अंततः दबोच लिया। गुजरात सरकार ने साबित कर दिया कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो आतंकवाद का खात्मा संभव है। पकड़े गए ज्यादातर आरोपी प्रतिबंधित संगठन सिमी के कार्यकर्ता हैं, जिन पर मालेगांव, मुंबई, पानीपन, हैदराबाद, वाराणसी, बेंगलूर और जयपुर में आतंकी हमला करने का शक जताया जाता रहा है। तुष्टिकरण की कुत्सित राजनीति के कारण सेकुलर दल सिमी को महज एक छात्र संगठन बता कर उसका बचाव कर रहे हैं। पिछले दो सालों में करीब दर्जन भर बड़े आतंकी हमले हुए। इनमें से किसी भी हमले के असली सूत्रधार को पकड़ा नहीं गया। यह पहला अवसर है जब गुनहगारों को ढूंढ निकाला गया। पिछले तीन सालों में ४६४ बेकसूर भारतीय आतंकवाद के शिकार हुए हैं। आतंकी हमलों में मारे जाने वालों में इराकियों के बाद सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन का कहना है कि देश में करीब ८०० आतंकी संगठन सक्रिय हैं, किन्तु उन पर काबू पाने के लिए किसी ठोस नीति का कहीं संकेत नहीं मिलता। संप्रग सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने में संकोच करती है। कुछ राज्य सरकारों ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित भी किया, किंतु उन पर केन्द्र सरकार कुंडली मारे बैठी है। आतंकी घटना होने पर गृहमंत्री राज्य सरकारों पर दोष डाल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यदि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है तो राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों को हरी झंडी क्यों नहीं? यूपीए सरकार ने आते ही पोटा

को निरस्त कर डाला। आतंकवाद के प्रति उसके लचर रूख के कारण आज जिहादियों के हौसले इतने बुलंद है कि वे पूर्व चेतावनी देकर तबाही मचा रहे हैं तो दूसरी ओर कथित सेकुलरिस्टों में मची तुष्टिकरण की होड़ देखकर कट्टरपंथी ताकतें अपनी शर्तों पर सरकार को नचा रही है राजग सरकार के समय में जब सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया था तब सेकुलर दलों के आसमान सिर पर उठा लिया था। प्रतिबंधित होने के बावजूद सिमी भूमिगत होकर देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहा। जांच एजेंसियों का मानना है कि हाल के आतंकी हमलों में जिस इंडियन मुजाहिदीन नामक संगठन का नाम सामने आ रहा है वह सिमी का ही छद्म नाम है। पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण अभी हाल में सिमी को क्लिन चिट मिल गई थी, जिस पर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। केन्द्र सरकार को सिमी के खिलाफ सबूत देना शेष है, किन्तु संप्रग सरकार के घटक दल जिस तरह सिमी का बचाव करते रहे हैं उससे लगता नहीं कि सरकार सिमी के खिलाफ कड़े कदम उठा पाएगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव तो सिमी पर प्रतिबंध लगाने की दशा में संघ परिवार को भी प्रतिबंधित करने की मांग करते हैं। अपने साथ लादेन का हमशक्ल लेकर चुनाव प्रचार करने वाले रामविलास पासवान सिमी के बड़े पैरोकार हैं। मुलायम सिंह समेत अधिकांश सेकुलरिस्ट भी सिमी के शुभचिंतक हैं। आतंकवाद को अपने कुतर्कों की ढाल देना आसान है। आवश्यकता वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सभ्य समाज की रक्षा के लिए एकजुट होने की है, जहां किसी भी वर्ग, समुदाय या पंथ के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो। कटु सत्य यह है कि सेकुलरवाद इस्लामी कट्टरपंथ के तुष्टिकरण का पर्याय बन कर रह गया है। जम्मू-कश्मीर में जो संघर्ष चल रहा है वह इसी कुत्सित नीति का परिणाम है। घाटी के कट्टरपंथियों ने केवल चार दिन हंगामा खड़ा किया और सरकार ने घुटने टेक दिए। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी गई जमीन वापस ले ली गई। अमरनाथ संघर्ष समिति जमीन वापस पाने के लिए दो महीने से आंदोलन कर रही है, किंतु सरकार गूंगी-बहरी बनी हुई है। क्यों? स्वतंत्रता दिवस पर घाटी में काला दिवस मनाया गया, तिरंगा जलाया गया। अलगाववादियों ने पाकिस्तानी झंडा लहराया और 'भारत तेरी मौत आए, मिल्लत आए' का नारा लगाया। मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स

पर 'हमको चाहिए आजादी' गूंजता रहा। श्रीनगर के लाल चौक पर ध्वजारोहण के बाद तिरंगा उतार लिया गया। सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए गए और पुलिस मौन बनी रही। इस रीढ़विहीन सरकार में देश की अस्मिता, उसकी संप्रभुता के लिए कोई चिंता नजर नहीं आती। १५ अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, ''मजहब के नाम पर लोगों को बांटने से समस्या जटिल होगी, इससे भारत की एकता व अखंडता को खतरा पैदा होगा।'' किंतु अमरनाथ मामले में सरकार के घुटने टेकने से उत्साहित जिहादियों द्वारा इस देश की जमीन पर ही पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगाए गए, उससे भारत की संप्रभुता को जो चुनौती मिली है उसका प्रतिकार कैसे संभव है?

जम्मू का आंदोलन जमीन के टुकड़े के लिए नहीं चल रहा। वह भारत की संप्रभुता, बहुलतावादी संस्कृति और सनातनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए है। पाकिस्तान की शह पर अलगाववादियों ने घाटी को 'काफिरों' यानी हिंदुओं से मुक्त करा लिया हैं। घाटी दारूल इस्लाम बन चुकी है। अब उनकी निगाह जम्मू पर है। बोर्ड से जमीन वापस लेने से उहें लगता है कि वह शेष भारत में भी अपनी हांकने में सफल होंगे। यदि सेकुलरिस्टों को ऐसा ही रवैया रहा तो निकट भविष्य में यह संभव भी है। जम्मू का जनाक्रोश कश्मीर मसले पर बरती गई भूलों की तार्किक परिणति है। पहली भूल अक्टूबर १९४७ में नेहरू ने की, जब पाकिस्तानी कबायलियों को जवाब देने की बजाय वह संयुक्त राष्ट्र चले गए। अनुच्छेद ३७० दूसरी बड़ी भूल थी, जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर को शेष भारत से विलग कर दिया गया। यदि सेकुलरिस्टों को प्रतिबद्धता सच्ची पंथनिरपेक्षता के साथ है तो उन्हें जम्मू के राष्ट्रभक्त भारतीयों का साथ देना चाहिए, अन्यथा इस तीसरी भूल की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

(लेखक भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं)

■

उपेक्षित और असहाय जम्मू

r:.k fot;

एक माह से जम्मू दहक रहा है। सेना की गश्त, गोलीबारी, कर्फ्यू के बीच गूंजते असंतोष के स्वर। आखिर भारत में देशभक्ति की कीमत घर से उजड़ना या जान देना क्यों है? पहले कश्मीरी पंडितों को सिर्फ इसलिए घर से निकाल बाहर किया गया, क्योंकि वे तिरंगे के प्रति निष्ठावान थे। इससे पहले जून १९५३ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर शासन के अंतर्गत रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु घोषित कर दी गई, क्योंकि वे कश्मीर में देशभक्ति को जज्बा बुलंद कर रहे थे। वे कहते थे कि जम्मू-कश्मीर में सिर्फ तिरंगा रहेगा और कोई झंडा नहीं। इस साल २३ जुलाई को ३५ वर्षीय कुलदीप कुमार डोगरा ने देशभक्ति की आवाज बुलंद करते हुए अपनी जान दे दी। इस तरह जान देना अस्वीकार्य है, लेकिन कुलदीप के आत्मोसर्ग ने हिन्दू हनन में सेक्युलर भूमिका को उजागर किया और जम्मू में एक अभूतपूर्व विरोध की लहर पैदा कर दी।

कुलदीप डोगरा की देह जम्मू कश्मीर पुलिस जबरदस्ती उठा ले गई और सुबह ढाई बजे शराब तथा टायर डालकर जलाने का प्रयास किया तो उसके गांव के लोग आ गए। आखिरकार कुलदीप की देह घरवालों को सौंपी गई। क्या मानवाधिकार वाले सिर्फ आतंकियों के अधिकारों पर बोलने का ठेका लिए हैं? जम्मू कश्मीर सरकार भारत की है या अन्य देश की? आखिर शेष देश में इसकी क्या प्रतिध्वनि हुई? ऐसा लगता है हमारी भारतीयता का समग्र फलक ही चटकने लगा है। कश्मीर के पांच लाख शरणार्थी अभी भी अपने देश में बेघर और अनाथ जैसे घूम रहे हैं। जम्मू का दृश्य बयान करना बहुत कठिन है। जो सड़कें तीर्थ यात्रियों और स्थानीय नागरिकों के आवागमन और

काम-काज से भरी हुआ करती थी आज वहां मीलों दूर तक भांय-भांय करता दहशत भरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सैनिकों के बूटों की खट-खट आवाज कहीं-कहीं सन्नाटें को तोड़ती है। घरों मे आटा नहीं है, चावल नहीं है, पानी नहीं है। खाना बनाना तक मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा का सामान नहीं मिल रहा है। मुहल्लों के भीतर जाने पर सिर्फ फुसफुसाहटें सुनाई देती है। जम्मू के नागरिक अब घर में भी जोर से बोलना मानों भूल गए हैं। बाजार बंद हैं, दिलों में मातम है। सब एक सवाल पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है या नहीं? अगर है तो वहां आज भी दो झंडे क्यों लहराए जाते हैं? आखिर क्यों भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए वह जमीन नहीं दी गई जो बंजर थी और जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। इसे स्वयं जम्मू-कश्मीर सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को स्थानांतरित किया था। इस जमीन पर कोई स्थायी रूप से रहने वाला नहीं था। इस जमीन का उपयोग वर्ष में सिर्फ दो महीने के लिए होने वाला था और इसका लाभ स्थानीय कश्मीरी नागरिकों को मिलने वाला था? जम्मू कश्मीर में हिन्दुओं के दो बड़े तीर्थ स्थान हैं- माता वैष्णों देवी और अमरनाथजी। इन दोनों यात्राओं पर हर वर्ष करीब ७० लाख से अधिक तीर्थ यात्री जाते है। वे रास्ते में करोड़ों रूपये खर्च करते हैं। इसका पूरा लाभ जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को होता है। जिहादियों के कारण जम्मू कश्मीर में पर्यटक आने वैसे ही कम हो गए हैं। अगर हिन्दू तीर्थ यात्री जम्मू कश्मीर न आए तो वहां की सारी अर्थव्यवस्था ठप्प हो सकती है। अभी भी जम्मू-कश्मीर को शेष देश को मिलने वाले अनुदानों से औसतन दस गुना ज्यादा अनुदान और सहायता मिलती है। अपनी हर गलती का दोष वह भारत सरकार पर थोपते हैं यानी खाना भी हमारा और गुर्राना भी हम पर। पूरी रियासत के तीन हिस्से हैं-जम्मू, घाटी और लद्दाख। श्रीगनर के राजनेता न केवल अनुदान का अधिकांश हिस्सा सबसे छोटे भाग और सबसे कम जनसंख्या पर खर्च करते हैं, बल्कि जम्मू और लद्दाख के नागरिकों के साथ भेदभाव भी करते हैं। जम्मू कश्मीर का कुल वैधानिक क्षेत्रफल २२२२३६ वर्ग किलोमीटर है। इसमें से ७८११४ वर्ग किमी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और ३७५५५ वर्ग किमी चीन ने कब्जाया हुआ है। लद्दाख का क्षेत्रफल ५६२११ वर्ग किमी। १६६३ में पाकिस्तान ने

अवैध कब्जे के कश्मीर में से ५१८० वर्ग किमी चीन को भेंट दे दिया था। क्या आपने कभी सुना है कि कश्मीर के उन जाबांज नेताओं ने जो हिन्दू तीर्थ यात्रियों को एक इंच जमीन भी न देने के लिए अराजकता फैला देते हैं, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए धरना या प्रदर्शन दिया हो? हजारों वर्ग किमी जमीन पाकिस्तान के कब्जे में चली जाए तो उस पर खामोश रहना और हिन्दू तीर्थ यात्रियों के लिए जमीन देने पर जान की बाजी लगाने की धमकियां देना किस मानसिकता का द्योतक है?

जम्मू और कश्मीर घाटी में लगभग बराबर की संख्या में मतदाता है, लेकिन जम्मू की सिर्फ दो लोकसभा सीट दी गई है और घाटी को तीन। पूरे राज्य की आय का ७० प्रतिशत से अधिक जम्मू से मिलने वाले राजस्व से प्राप्त होता है और घाटी से लगभग ३० प्रतिशत, लेकिन खर्च किया जाता है और घाटी पर ७० प्रतिशत। लद्दाख के साथ श्रीनगर के शासकों का भेदभाव सीमातिक्रमण कर गया है। लद्दाख बौद्ध युवकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी कश्मीरी प्रशासनिक सेवा में न लेने, मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला न देने जैसे भेदभाव के अनेक आरोप लगाए। सच यह है कि योजनाबद्ध तरीके से लेह के बौद्ध समाज को अल्पमत में किए जाने का षड्यंत्र चल रहा है। वास्वत में पूरे प्रदेश में ही भारत लगातार सिकुड़ता गया है। यह परिस्थिति दिल्ली के रीढ़हीन शासकों द्वारा पनपाई और बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर भारत मां का भाल है। वहां का दर्द भारत का दर्द है। यदि हम वहां का दर्द नहीं महसूस करेंगे तो शेष भारत में भी बंटवारे के बीज फैलेंगे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार है)

दैनिक जागरण ६.८.०८

■

कश्मीरियत का मतलब

Loiu nkl x|rk

सभ्य समाज के लिएके लिए इंटरनेट के फायदों से कौन इनकार कर सकता है, लकिन संचार का यह माध्यम अब चरमपंथ और अलगाववाद का भी उपकरण बन गया है। इस सप्ताह की शुरूआत में मुझे किसी डा. अब्दुल रूफ कोलाचल का लेख पढ़ने को मिला। वह जेएनयू में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के स्कालर होने का दावा करते हैं। उनके बारे में थोड़ी-बहुत और खोजबीन करने पर पता चलता है कि कोलाचल का जन्म तमिलनाडू में हुआ और वह मैसूर विश्वविद्यालय में अध्यापन कर चुके हैं। उनके कुछ लेख एक कश्मीरी समाचार पत्र में भी छप चुके हैं। अलगाववाद समर्थक कश्मीरवाच डाट काम में वह भारत के खिलाफ अपना गुस्सा उतारते हैं- ''भारतीय मीडिया ने पैसे और समर्थन के आधार पर छद्म राष्ट्रवादी शक्तियों के एक बड़े वर्ग का निर्माण कर भारतीय शासकों की सफलतापूर्वक मदद की है।'' अपने आरोप के समर्थन में वह बीजिंग में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा के मीडिया में छा जाने का उदाहरण देते हैं। वह लिखते हैं- ''जब एक भारतीय ने निशानेबाजी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता तो पूरे देश और खासकर मुस्लिम विरोधी मीडिया ने उनकी बड़ी-बड़ी तस्वीरों के साथ उनकी उपलब्धि को आजादी के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया। निशानेबाजी तो आतंकी गतिविधियों के लिए जरूरी कौशल है और भारतीय जिस तरह शूटिंग में मिले पदक की सराहना कर रहे हैं उससे भारतीयों की आतंकवाद समर्थक मानसिकता उजागर होती है।'' भारतीय मानसिकता के संदर्भ में इस नवीन 'अंतर्दृष्टि' में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ऐसी मानसिकता का क्या वास्तव में अस्तित्व है, बल्कि यह है कि इसके बीज उन लोगों

द्वारा बोए जा रहे हैं जो इस्लाम की आजादी के आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। सोचे-समझे ढंग से किया जा रहा यह प्रयास कश्मीर घाटी में तेजी से अपना असर फैला रहा है।

शायद इस कोशिश में हमें चौकाना नहीं चाहिए। पिछले दो दशक से घाटी के अलगाववादी नेता ने दोहरे आचरण और दोहरी भाषा में महारथ हासिल कर ली है। उदाहरण के लिए हुर्रियत कांफ्रेंस के नेतृत्व ने अपनी एक भाषा मीडिया, बौद्धिक जनों तथा पश्चिम राजनयिकों के लिए आरक्षित कर ल है। इस भाषा में सशक्तीकरण, सभ्य समाज, दोहरी संप्रभुता जैसे शब्दों का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। अलगाववादियों का एक और पक्ष तब प्रकट हो जाता है जब उनके नेता अपने साथियों से बात करते हैं। जरा हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के उस बयान पर निगाह डालिए जो उन्होंने अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में दिया। गिलानी कहते हैं- ''भारत सरकार ने एक खास मकसद से अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को कश्मीर भेजा है। इस कृत्रिम तीर्थस्थल में यात्रियों और पर्यटकों को भेजने के पीछे कश्मीर पर अपना कब्जा मजबूत करने का मकसद है ताकि आगे चलकर कश्मीर के सदंर्भ में भी वैसा ही दावा किया जा सके जैसा दावा फलस्तीन क्षेत्र के लिए यहूदी करते हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड की स्थापना की गई। कश्मीरियों को अमरनाथ यात्रा से कभी परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक बार जब यह यात्रा अपना कब्जा मजबूत करने का उपकरण बन गई तो कश्मीरियों को चिंता हुई।'' अब जरा कल्पना करें कि तोगड़िया जैसे लोग यदि यह कहने लगें कि हज का स्थान आतंकवादी विचारधारा के प्रसार का उपकरण बन गया है और इसे रोका जाना चाहिए तब क्या होगा? यह भी तो कहा जा सकता है कि पहले से तंग हमारे हवाई अड्डे हाजियों के आवागमन का बोझ नहीं उठा सकते और यह भी कि विशेष हर्ज टर्मिनल स्थापित करना भारतीय पहचान को नष्ट करने का कार्य करेगा। क्या ऐसे विचार व्यक्त करने वाले लोगों को एक दिन के लिए भी बख्शा जाएगा? कश्मीर में चल रहे आंदोलन का न तो कश्मीरी पहचान से कोई लेना-देना है और न ही उस विशिष्ट कश्मीरियत से जिस पर गिलानी जोर दे रहे हैं। यह एक स्पष्ट अलगाववादी आंदालन है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक

पृथक इस्लामी राज्य अवश्य होना चाहिए। अब इसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में हुए बम धमाकों से अलग नहीं रखा जा सकता। ये बम धमाके भी इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की अस्वीकृति की घोषणा है। दूसरी तरह कहें तो भारत की एकता और व्यक्तित्व पर दोहरा आघात किया जा रहा है। इसका दिखाई देने वाला एक स्वरूप घाटी में है और दूसरा अदृश्य स्वरूप अन्यत्र हमारे शहरों में बम धमाकों के रूप में महसूस किया जा सकता है। इन दोनों स्वरूपों को नियंत्रित करने वाली ताकतें एक ही हैं, जैसा कि गुजरात पुलिसने गत दिवस खुलासा किया। कश्मीरी अलगाववादी भारत से अलग हो जाना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने लिए पृथक राज्य चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने १९९० में घाटी से अल्पसंख्यक हिंदुओं को बाहर निकाल दिया। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन हिन्दू भारत को तबाह कर देना चाहते हैं, क्योंकि वे केवल एक इस्लामिक राज्य में रह सकते हैं। हुर्रियत कांफ्रेंस के पास खासा जन समर्थन है और अब आतंकवाद ने व्यापक घरेलू नेटवर्क बना लेने के प्रमाण दिए हैं।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब घाटी की घटनाओं को राष्ट्रीयता के लिए खतरा बताते हैं तब वह सही होते हैं, लेकिन आश्चर्य है कि वह जम्मू के आंदोलन की तुलना कश्मीर में चल रहे घटनाक्रम से कर बैठते हैं। इस दृष्टिकोण को खोखलापन श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस पर उजागर हो गया जब अलगाववादियों ने लाल चौक पर भारतीय ध्वज तहस-नहस कर दिया औ उसके स्थान पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। दूसरी और जम्मू में यह आम जनता को स्वतंत्रता दिवस था, जहां केवल एक ध्वज-भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। क्या हम अब भी राष्ट्रवादियों की तुलना उन लोगों से कर सकते हैं जो भारत को तोड़ देना चाहते हैं?

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

■

जम्मू के जज्बे को सलाम

,- l;idk'k

कुछ समय पहले तीखे तेवर वाले सज्जाद लोन जैसे कश्मीरी अलगाववादी नेता अपने आंदोलन के दौरान बार-बार घोषणा कर रहे थे कि वे अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड को एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। भारत के उन अनेक नौजवानों को कश्मीर के अलगाववादियों के इस चुनौतीपूर्ण अंदाज से जबरदस्त धक्का लगा है जो अब तक उनसे अपरिचित रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि हुर्रियत कांफ्रेंस और ऐसे ही अन्य संगठनों के नेताओं के मन में भारत के स्वतंत्र, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति नफरत भरी है। लोग उस स्तब्धकारी भेदभाव से भी पहली बार परिचित हो रहे हैं जो राष्ट्रवादी बहुल जम्मू क्षेत्र और अलगाववादी एवं सांप्रदायिक कश्मीर क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। जम्मू के हिन्दू, सिख और मुस्लिम प्रदर्शनकारी तिरंगा हाथ में लेकर प्रदर्शन करते हैं और भारत माता की जय जैसे नारे लगाते हैं, जबकि कश्मीर के प्रदर्शनकारी हुर्रियत या पाकिस्तान का हरा झंडा लेकर भारत विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन में भाग लेते हैं। पिछले साठ साल से भारतीय गणतंत्र का अंग होने के बावजूद कश्मीरी मुसलमानों का बड़ा वर्ग पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र के दायरे से बाहर है। मीडिया में सामने आई विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों से यह साफ हो जाता है कि घाटी के अधिकांश मुसलमानों पर भारतीय पंथनिरपेक्षता का रंग नहीं चढ़ा है। दूसरी तरफ वहां छह सौ साल पहले का वही माहौल नजर आता है जिसमें सुलतान सिकंदर ने हिन्दुओं पर कुठाराघात करते हुए उन्हें कश्मीर छोड़ने या मुसलमान बनने को मजबूर कर दिया था। हिन्दू समुदाय पर दूसरा बड़ा

कुठाराघात १९८९-९० में मुस्लिम आतंकवादियों ने किया, जिन्हें स्थानीय मुसलमानों का समर्थन हासिल था। उन्होंने हिन्दुओं की हत्याएं शुरू कर दी। इस नरसंहार के कारण तीन लाख कश्मीरी पंडितों ने पलायन कर जम्मू और दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में शरण ली।

हाल के वर्षों में आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया और स्थानीय शिविरों में निवास करने वाले यात्रियों को मौत के घाट उतारा। इसके बावजूद सज्जाद लोन कहते हैं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान हिन्दू तीर्थयात्रियों का 'ध्यान' रख रहे हैं। इससे भी हास्यास्पद बयान हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष मीर वाइज फारूख का है। उनका दावा है कि वह पंथनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं। सांप्रदायिक तो हिन्दू हैं, जो श्राइन बोर्ड की जमीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि घाटी से हिन्दुत्व की विशिष्ट संस्कृति के सफाए पर कोई भी अलगाववादी नेता शर्मिंदगी महससू नहीं करता। यह इस क्षेत्र में किसी भी पंथिक अल्पसंख्यक समुदाय पर सबसे बड़ा हमला है। हालिया वर्षों में टीवी शो में अनेक कश्मीरी अलगाववादी नेता हाजिर हुए हैं। ये विद्रोही, अड़ियल, सांप्रदायिक और भारत विरोधी थे, फिर भी कुछ अंग्रेजी समाचर चैनलों ने उन्हें पर्याप्त समय दिया। भारतीय मीडिया का एक वर्ग यह मानता है कि अलगाववाद की भाषा बोलने वाले कश्मीरी मुसलमानों से संजीदगी और पंथनिरपेक्षता की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए सज्जाद लोन, बिलाल लोन और मीर वाइज फारूख जैसे लोगों के जहर उगलने वाले बयान और उनके दावों में बेइमानी के निशान इन मीडिया संगठनों के लचर रवैये से साफ झलकते हैं। ये उन्मत्त कश्मीरी मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रति रूझान रखते हैं। इनमें कश्मीरी मुस्लिम दृष्टिकोण की तरफदारी की इच्छा इतनी तीव्र है कि साफ-साफ सांप्रदायिक नारेबाजी और प्रदर्शनों के बावजूद वे इसे सांप्रदायिक बताने से गुरेज करते हैं। मूर्खतावश अलगाववादियों को मंच प्रदान करके कुछ मीडिया संगठन भारत की एकता व अखंडता तथा संवैधानिक मूल्यों को छिन्न-भिन्न करने के खतरनाक अंजाम के करीब पहुंच गए हैं। यह निःसंदेह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए।

सज्जाद लोन कहते हैं कि 'हम' हिन्दुओं को एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। एक चैनल पर एक कश्मीरी पंडित ने लोन से पूछा कि 'हम' से क्या मतलब है? क्या इसमें कश्मीरी पंडित शामिल नहीं है, जो कश्मीर के मूल निवासी हैं? इस सवाल पर लोन और वहां मौजूद अन्य लोगों की बोलती बंद हो गई। जाहिर है कि लोन ने जिस 'हम' का उल्लेख किया था उसमें केवल मुस्लिम समुदाय शामिल है। लोन को बताना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा और अगर सीमा पार के आकाओं से आपका इतना ही लगाव है तो मुजफ्फराबाद पुल पार करके वहां जाओ और वहीं जाकर बस जाओ। कश्मीर नाम के भौगोलिक टुकड़े से हम भावनात्मक बंधन में बंध है और यह बंधन हमेशा कायम रहेगा। लोन के पूर्ववर्ती भी निमंत्रण रेखा के पार ऐसा ही झुकाव रखते थें। कश्मीरी मुसलमानों की सांप्रदायिकता सबसे पहले १९४७ में खुलकर सामने आई थी। तब कश्मीर सेना में तैनात मुसलमान सैनिकों ने फौजी अफसरों की हुक्म बदूली करते हुए बगावत कर दी थी और हमलावर पाकिस्तान सेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह, बिग्रेडियर राजिंदर सिंह और अन्य अधिकारियों को मौत के घाट उतारने के बाद श्रीनगर की तरफ कूच किया।

इस धोखे की गूंज आज जम्मू-कश्मीर राज्य में सुनाई पड़ रही है। कश्मीरी मुस्लिम समुदाय सीमा पार से पड़े प्रभाव के कारण घाटी में हिन्दुओं के अधिकारी को रौंदना अपना अधिकार समझ बैठा है। अगर हम जम्मू-कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग के रूप में कायम रखना चाहते है तो देश की एकता, अखंडता, आजादी पंथनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध भारत के प्रत्येक नागरिक को ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह जैसे बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। जम्मू की जुझारू जनता हमारे सामने उदाहरण पेश कर रही है। आइए हम सब उन्हें सलाम करें।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार है)

■

जम्हूरियत की जड़ें जमने तो दें कश्मीर में

tokgjyky dky

कश्मीर में हम वहीं लौट आए हैं, जहां से १९८९ में चले थे। तब भी हालात सरकार के बेकाबू हो गए थे और प्रशासन दुबक कर निष्क्रिय हो गया था। आज भी कश्मीर में सरकार हाथ पर हाथ धरी है। किसी तरह तब एक सही पहल के कारण हालात काबू में आए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की यात्रा फिर से चालू हो गई थी। तीन साल बाद ही कश्मीर में चुनाव होने की स्थिति आ गई। सात साल में ही हमने उस पहल की उपलब्धि गंवा दी। कुछ गंभीर रोग हैं हमारी केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था में, जिसके कारण बार-बार हम अराजकता की ओर लौट पड़ते हैं। हम संकट-प्रबंधन की कला ही नहीं जानते और न उसे सीखने का प्रयास करते हैं। यह जानते हुए भी कि हमारे देश में राजनीतिक या दूसरे कारणों से कुछ दीर्घ संकटग्रस्त क्षेत्र और बिंदु बरसों से सक्रिय हैं। फिर, अगर सौभाग्य से हम संकट का तात्कालिक हल निकाल भी लेते हैं, तो हम अपनी उपलब्धियों को दीर्घकालिक लाभ में परिवर्तित ही नहीं कर पाते हैं। खिलाड़ियों की एक कमजोर टीम की तरह आपात संकट की घड़ी में हम बिफर जाते हैं या बिखर जाते हैं। आज के कश्मीर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि दो महीने पहले यहां सैलानियों के समूह बेहिचक घूम रहे थे, खरीदारी करते थे, लाखों तीर्थ यात्री अपने देवी-देवताओं के दर्शन करने को आतुर थे। लोग खुश थे और दुनियाभर की राजनीति पर बहस करते थे। सब बदल गया है। लगता है जैसे सबकुछ रातों-रात हुआ हो। किसी बूढ़े कश्मीरी से पूछें, तो कहेगा कि मेरी इस ऋषिवाड़ी को किसी की नजर लग गई।

लेकिन रातों-रात कुछ भी नहीं हुआ। धीरे-धीरे कुछ-कुछ होता

रहा है पिछले कई सालों से। पिछले चुनावों से ही आरम्भ करें। विधानसभा के चुनावों में कश्मीर में भी उसी प्रकार का विभाजित जनादेश आ गया। जैसा देश के कई अन्य राज्यों में मिला। मिलीजुली सरकारें बनाने का प्रयोग तो कश्मीर में भी होना ही था। कश्मीर में जमाने के बाद कांग्रेस को इतनी सीटें मिलीं कि उसे सरकार बनाने की उम्मीद हुई। लेकिन विडंबना देखिए कि कांग्रेस को कश्मीर में सत्ता पाने के लिए एक ऐसा दल ही मिला, जिसके बारे में वहां मशहूर था कि उसे अलगाववादियों का छद्म समर्थन प्राप्त है। उस दल ने इस बात को परोक्ष रूप से बता भी दिया। पीडीपी को कम सीटें मिली थीं, फिर भी वह मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहती थी। तर्क था कि उसने लोगों से कुछ वायदे किए थे, जो उसे पूरे करने हैं। वायदे उसके ही मुख्यमंत्री पूरे कर सकते हैं, दूसरे नहीं। ऐसे कौन से वायदे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बनाना ही आवश्यक था? और वायदे किनसे किए गए थे? कांग्रेस को कश्मीर की राजनीति का अनुभव न हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन या तो इस अनुभव का लाभ जताने का प्रयास नहीं किया गया या आने वाले खतरों का अंदाजा होने पर भी जोखिम उठाया गया। कांग्रेस को समझ लेना था कि पीडीपी कश्मीर में उस धर्मनिरपेक्षता की भावना को प्रोत्साहित नहीं कर सकती, जिसके आधार पर कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाना चाहती थी। उसे इस बात का अंदाज होना चाहिए था कि पीडीपी जिस प्रकार की राजनीति करती है, उसमें उसे जम्मू को छोड़कर कश्मीर घाटी में एक ताकतवर जनाधार विकसित करना होगा। कश्मीर को जम्मू से टकराने से बेहतर मुद्दा कहां मिल सकता था!

१९८८ से हालात ने जो करवटें बदलनी आरम्भ की थीं, उनका आधार गुलशाह के मस्जिद कांड के बाद जम्मू बनाम कश्मीर ही हुआ। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि मुफ्ती सईद अपनी राजनीति के लिए इस तरह की स्थिति पैदा कर सकते थे। अब अगर कांग्रेस कह रही है कि पीडीपी आतंकवादियों के एजेंडे पर काम कर रही है, तो कश्मीर के ही मुहावरे का उपयोग करें तो यह गीदड़ के भाग जाने पर जमीन को पीटने जैसा ही है। लेकिन यहां खेद की बात तो यह है कि कांग्रेस को शायद मालूम था कि गीदड़ शुरू से ही वहीं दुबका बैठा है। जब वह भाग गया, तब शोर मचाने की औपचारिकता करने लगी!

अमरनाथ धर्म स्थल बोर्ड को जमीन देने के मुद्दे पर भी पीडीपी काफी पहले अपनी राजनीति का संकेत दे चुकी थी। जब मुफ्ती मुख्यमंत्री थे, तो यात्रा के दिनों में एक विवाद खड़ा हो गया था। यात्रा की अवधि बढ़ाये जाने के मामले पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति की। कहा, इससे प्रशासनिक खर्चा बढ़ जाता है। यात्रा का आयोजन करने वालों और जम्मू के हिंदू संगठनों को लगता था कि खर्चे का तो बहाना है- यात्रियों की संख्या को कम करना ही असली मकसद है। अगर अवधि घटा दी जाए, तो दर्शन को जाने वालों की संख्या भी घटानी होगी। किसी तरह राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद यात्रा की अवधि नहीं घटाई गई। पीडीपी के इस रूझान के बाद गुलाम नबी आजाद को या तो अमरनाथ बोर्ड की जमीन देने का फैसला करना ही नहीं चाहिए था या अगर करना उचित समझा, तो उस पर टिकना था। अपनी ओर से उन्होंने राजनीतिक समझदारी का परिचय दिया कि पीडीपी के मंत्री बेग को भी आदेश की फाइल पर हस्ताक्षर करवाए। वे समझते थे कि पीडीपी के मंत्री नहीं मुकरेंगे, लेकिन यहां भी पीडीपी के तौर-तरीकों के अनुभव का आजाद ने कोई फायदा नहीं उठाया। बेग हों या कोई और, अपने मुखिया की नीति के मजहबी मुद्दे पर तो जाने का जोखिम वे ले ही नहीं सकते थे। इस तरह कांग्रेस जिस दल के बूते कश्मीर घाटी में जड़ें जमाना चाहती थी, वही उसकी जड़ों में मट्ठा डालती रही। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा पहली बार नहीं किया है कश्मीर में। फारूख अब्दुल्ला को पछाड़ने के लिए उसने गुलशाह को खड़ा किया, जो किसी भी अर्थ में धर्मनिरपेक्ष राजनीति में विश्वास नहीं करता था। और कांग्रेस के हर ऐसे करतब का नतीजा उस पार्टी के लिए कैसा भी रहा हो, कश्मीर और पूरे देश के लिए काफी महंगा सौदा साबित हुआ है। गुलशाह के छोटे से शासनकाल का नतीजा जम्मू मस्जिद कांड और अनंतनाग में हिंदुओं की लूटमार के रूप में निकला। १९८९ का पलायन उसी का अगला चरण था। अब जम्मू और कश्मीर दो दुश्मनों के रूप में ही आमने-सामने नहीं हैं, अपितु कश्मीर, जो धीरे-धीरे एक सामान्य राजनीतिक गतिविधि की ओर बढ़ रहा था, वहां आज राजनीतिक दल या तो आतंकवादियों के इशारों पर चलने लगे हैं या अप्रासंगिक हो गए हैं।

आतंकवादी गुटों को जब कोई भावनात्मक मुद्दा मिलता है, तो

कश्मीर में अचानक राजनीतिक दल जैसे लकवाग्रस्त हो जाते हैं। इससे साफ है कि आज भी कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया एकदम सतही ही है। वह किसी भी आपात स्थिति का सामना करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इसका कारण यही है कि राजनीतिक प्रक्रिया को अपना स्थान बनाने और जड़ें जमाने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जाता। आज जो उग्र आंदोलन हो रहा है, उसका उद्देश्य भी यही है। पीडीपी अब पूरी तरह आतंकवादियों और अलगाववादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन शायद मुफ्ती साहब यह नहीं समझते कि जिस तरह का आतंकवाद अब कश्मीर और अन्य देशों में चल रहा है, उसमें राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं होता। देर-सवेर पीडीपी भी अप्रासंगिक हो जाएगी, वैसे ही जैसे एक समय अलग कश्मीर का नारा देने वाले शेख साहब हो गए थे या बाद में गुलाम मोहम्मद शाह हो गए। लेकिन यह तो कल की बात है और जो राजनीति कश्मीर में चल रही है, उसमें कल की कौन सोचता है, वह पीडीपी हो या कांग्रेस और भाजपा?

राष्ट्रीय सहारा, २०.०८.२००८

■

अमरनाथ भूमि प्रकरण की परतें

Mk- xkjhukFk jLrkxh

भगवान श्री अमरनाथ की पावन वार्षिक परिक्रमा को श्रद्धालु भक्तों हेतु सुगम बनाने के प्रयोजन से श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को अस्थायी तौर पर १०० एकड़ भूमि का आवंटन जिन हालात और तरीकों से रद्द किया गया है, उससे एक अत्यंत गंभीर षड्यंत्र की बू आ रही है। भारत के शासनकर्ताओं सहित देश के प्रायः सभी राजनीतिक दलों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा उसकी घोर उपेक्षा स्थिति को और अधिक चिंताजनक बना रही है, इसमें संदेह नहीं। वैसे तो भारत की सांस्कृतिक विरासत के अनेक केन्द्रों में से एक प्रमुख केन्द्र एवं महर्षि कश्यप की कर्मस्थली कश्मीर का दुर्भाग्य आधुनिक समय में सन् १९४७ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विघातक नीति से ही प्रारंभ हो गया था, किन्तु डॉ. मुखर्जी के बलिदान से स्थिति में क्रमिक सुधार आने की प्रक्रिया को उस समय जबर्दस्त आघात लगा जब सन् १९८९ के अंत में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के मंत्रिमंडल में अब्दुल्ला बुखारी के आग्रह पर मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृहमंत्री नियुक्त हो गये।

राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व संभालने वाले इस व्यक्ति ने कश्मीर घाटी में अलगाववादी शक्तियों की मिलीभगत से अपनी एक पुत्री रूबिया का आतंकवादियों द्वारा अपहरण कराकर उनकी शर्तों के अंतर्गत पांच खूंखार आतंकवादियों की रिहाई करा दी। इसके तुरंत बाद कश्मीर घाटी से हिन्दुओं को जबरन अपनी चल-अचल संपत्ति को छोड़कर भागने के लिए विवश करके दर-दर का भिखारी बना दिया गया। १९वीं शताब्दी के मध्य में जुम्मा मलिक द्वारा अकस्मात् भगवान अमरनाथ की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त होने के समय से लेकर

परिक्रमा यात्रा का क्रम सतत् रूप से चला आ रहा है। सन् १९९६ की वार्षिक यात्रा के दौरान जबर्दस्त बर्फानी तूफान में २०० श्रद्धालुओं के काल कवलित हो जाने से भी यह क्रम बाधित नहीं हुआ। इस्लामी जिहादी आतंकियों के हमले भी श्रद्धालुओं को बाबा अमरनाथ का दर्शन करने से परावृत्त नहीं कर सके। १३५०० फुट की गगचुम्बी चोटी पर स्थित भगवान अमरनाथ की यात्रा में सन् २००० में आतंकियों ने ५० भक्तों को मौत की नींद सुला दिया था। इसकी प्रभावी रोकथाम करने तथा भक्तों की यात्रा में सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयोजन से नियुक्त समिति की सिफारिश पर राज्य विधानमंडल ने सन् २००० में ही कानून द्वारा राज्यपाल की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया। वर्ष २००१ और २००२ मे भी श्रद्धालु यात्रियों को आतंकियों ने निशाना बनाया। मुफ्ती ने एक बार भी इन आतंकियों की बर्बर कारगुजारी की निंदा नहीं की।

सन् २००२ के अंत में विधानसभा चुनाव मुफ्ती सईद की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने घाटी में सक्रिय जिहादी आतंकवादी गुटों का मौन समर्थन प्राप्त कर लड़ा तथा कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनायी। सन् २००३ की वार्षिक परिक्रमा यात्रा के समय राज्यपाल और श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष ले.जे. एस.के. सिन्हा ने पिछले तीन वर्षों के घटनाक्रम को देखते हुए राज्य सरकार से श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को पूर्ण सुरक्षा देने का आग्रह किया। किन्तु मुख्यमंत्री सईद ने उनका अनुरोध यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि अब राज्य में शांति बनी होने से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीच श्राइन बोर्ड ने पहलगाम मार्ग के विकल्प के रूप में बलटाल होकर यात्रा मार्ग विकसित कर लिया था। २००४ में दो श्रावण मास होने से यात्रा की अवधि एक मास से बढ़ाकर दो मास करने की मांग ने जोर पकड़ लियां श्राइन बोर्ड ने भी इसका समर्थन किया। मुख्यमंत्री सईद चट्टान बनकर खड़े हो गये। विरोध स्वरूप कांग्रेस के चार मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया तो उन्हें झुकना पड़ा और यात्रा की अवधि दो मास हो गई।

भक्तों की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड ने खुले शौचालयों और तम्बुओं के स्थान पर अस्थायी स्वरूप के बंद शौचालय और विश्राम स्थल बनाने की योजना के लिए मुफ्ती सरकार से स्वीकृति मांगी।

मुख्यमंत्री सईद ने पर्यावरण दूषित होने का बहाना गढ़कर उसका खुला विरोध किया। श्राइन बोर्ड के लिए सर्वेक्षण कर रहे अभियंता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिर भी श्राइन बोर्ड ने सन् २००५ में अपेक्षाकृत सुविधाजनक अस्थायी विश्रान स्थलों तथा शौचालयों का निर्माण अपने व्यय से करा दिया। मुफ्ती सरकार ने बोर्ड के विरूद्ध न्यायालय के द्वार पर दस्तक दी। पर वहां उसे मात खानी पड़ी। अब मामला अपील के रूप में राज्य उच्च न्यायालय में लम्बित है। बोर्ड की ओर से उसके अध्यक्ष एवं राज्यपाल एस.के. सिन्हा ने आवश्यक धनराशि की अदायगी के साथ बलटाल क्षेत्र के जन और वृक्ष शून्य इलाके की १०० एकड़ भूमि का अस्थायी आवंटन प्रतिवर्ष दो मास के लिए करने का अनुरोध राज्य के वन विभाग से किया। पीडीपी के वन मंत्री तीन वर्ष तक कान में तेल डाले सोते रहे। जनरल सिन्हा ने वर्ष २००८ में मुख्यमंत्री से इस विषय में संपर्क साधा। पीडीपी से संबद्ध उपमुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग द्वारा समस्त कानूनी पहलुओं की जांच-पड़ताल कर लेने पर उनकी सहमति से राज्य मंत्रिमंडल की मुहर लगवाकर वन विभाग मंत्री काजी अफजल ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को बलटाल क्षेत्र में उक्त १०० एकड़ भूमि देने का आदेश २६ मई, २००८ को जारी कर दिया।

मुफ्ती मुहम्मद सईद, उनकी पुत्री महबूबा ने जिहादियों और आतंकियों के विभिन्न गुटों के माध्यम से इस अस्थायी आवंटन का घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध को अंजाम दे डाला। तर्क था कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा और राज्य तथा केन्द्र सरकार की मिलीभगत से कश्मीर घाटी हिन्दू बहुल हो जाएगी। अपने दल के मंत्रियों के निर्णय के विरूद्ध अलगाववादी घातक भावनाएं भड़काकर मुफ्ती सईद ने कांग्रेसी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की सरकार को पदच्युत करा दिया, जो कि उनकी और उनके दल की कारगुजारियों को देखते हुए तनिक भी आश्चर्य नहीं है। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने अनेक आतंकवादियों को रिहा किया।

पर्यावरण प्रदूषित होने तथा कश्मीर घाटी का जनसंख्या-स्वरूप बदलकर उसे हिन्दू बहुल बनाने के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। मात्र दो मास की अल्पावधि के लिए अस्थायी विश्राम स्थलों और अस्थायी शौचालयों से पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। हां, रोशनी एक्ट के

तहत गुलमर्ग में ५०० बनाल भूमि पर होटल खड़े करने, मुगल रोड के निर्माण के लिए हजारों वृक्ष काटने और खास श्रीनगर में डल झील के चारों ओर निर्माण की खुली छूट देने से पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। भारतीय संविधान के दुर्भाग्यपूर्ण अनुच्छेद ३७० के रहते जम्मू-कश्मीर से बाहर का कोई भी भारतीय नागरिक वहां स्थायी रूप से बस नहीं सकता। तब जनसंख्या का स्वरूप कैसे बदल जाएगा? भूमि प्रकरण में केन्द्र सरकार की भूमिका सदैव की भांति घोर आपत्तिजनक रही है। मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद द्वारा जन. एस के सिन्हा के राज्यपाल पद पर बने रहने के अनुरोध को ठुकराने से मुफ्ती सईद सहित अलगाववादियों तथा आतंकी समूहों के हौसले बहुत बुलंद हो गये। २५ जून को एसके सिन्हा के स्थान पर एनएन वोहरा ने राज्यपाल और श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभालते ही बोर्ड द्वारा भूमि न लेने की घोषणा कर दी। यही संदेश गया कि यह पग केन्द्र सरकार के निर्देश पर ही उठाया गया है।

जम्मू-कश्मीर, विशेषतः कश्मीर घाटी में स्थिति इस समय अत्यधित विस्फोट है। वहां पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के इस्लाम मतावलम्बी नेता तक भारत-विरोध में एकजुट ही नहीं बल्कि अलगाववादी और आतंकी समूहों के साथ गलबहियां किये हुए हैं। घाटी में भाजपा और भीम सिंह की पैंथर्स पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है। इस स्थिति में आगामी अक्तूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद यदि वहां अलगाववाद और आतंकी समूह समर्थक तत्व बहुमत में आ गये तो क्या होगा? स्मरण रहे जम्मू और लद्दाख की कुल जनसंख्या कश्मीर घाटी से कहीं अधिक होने के बावजूद विधानसभा में उन्हें कम स्थान दिये गये हैं। यदि भावी विधानसभा ने जम्मू-कश्मीर से भारतीय सैन्य बल हटाने का अथवा अन्य कोई राष्ट्र विरोधी संकल्प पारित कर दिया, तो क्या होगा? यदि इस गंभीरता संकट की आहट देश के समस्त राजनीति दलों ने, बुद्धिजीवियों और जनसामान्य की नहीं सुनी तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा।

■

साक्षात्कार

आतंकियों से मिली हुई है पीडीपी

iwoZ jkT;iky ys- tujy ,l- ds- fLkUgk

अमरनाथ के जिस मुद्दे पर आज पूरा जम्मू आंदोलित है और गुलाम नबी आजाद को सरकार गंवानी पड़ी उसे दियासिलाई दिखाने का आरोप राज्य के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस. के. सिन्हा पर मढ़ा जाता है। कांग्रेस उन्हें सांप्रदायिक करार देते हुए यहां तक कह चुकी है कि वह जहां भी रहे इसी तरह भावनाओं को भड़काया। लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा इन आरोपों से आहत हैं और दोष कांग्रेस की अलगाववादियों के तुष्टिकरण और घुटना टेक नीति को देते हैं। उनका मानना है कि पीडीपी भी इस मामले में सबसे बड़ी खलनायक रही है। उन्होंने अपने पर लग रहे आरोपों का 'दैनिक जागरण' के विशेष संवाददाता जरनैल सिंह के साथ लंबी बातचीत में जवाब दिया। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश :

अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने के फैसले के बाद गुलाम नबी आजाद सरकार जा चुकी है। जम्मू शांत होने का नाम नहीं ले रहा। दोष किसे देंगे?

जम्मू में जो कुछ हो रहा है वह कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। इन लोगों ने शुरू से ही तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। सांप्रदायिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों की तरफदारी देश को भारी पड़ रही है। इस मामले में पीडीपी का भी दोष कम नहीं है। लंबे समय

से तुष्टीकरण के परिणाम सहते आ रहे जम्मूवासियों का आक्रोश अब अमरनाथ विवाद से भड़क उठा है।

इस विवाद से अगर जम्मू और कश्मीर में खाई बढ़ती है तो नुकसान तो देश को ही होगा?

घाटी में तो लोग सांप्रदायिक आधार पर ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में ऐसा नहीं है। यहां हिंदू, मुस्लिम सिख सभी मिलकर सड़कों पर उतरे हुए हैं।

जब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था तो फिर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देकर विवाद क्यों खड़ा किया गया?

हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों लोग जाते हैं। उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए बालटाल में १०० एकड़ के करीब जमीन अमरनाथ श्राइन बोर्ड को अस्थायी तौर पर देने का फैसला किया गया था। शर्त यह रखी गई कि वह केवल अस्थायी तौर पर अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए दी जा रही है। अगर इसका कोई और उपयोग हुआ तो वापस ले ली जाएगी।

फिर पीडीपी ने इतना शोर क्यों मचाया और सरकार से समर्थन वापस लिया?

हकीकत यह है कि इसे मंजूरी देने वालों में पीडीपी के ही दो मंत्री शामिल थे। तीन साल तक इन्होंने हर नुक्ते से इस पर विचार किया और जमीन देने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस साल मई में आजाद सरकार की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी, लेकिन हुर्रियत कांफ्रेंस जैसी अलगाववादी और कट्टरपंथी संस्थाओं ने इसे और ही रंगत देनी शुरू कर दी। घाटी में लोगों को यह कह कर गुमराह किया गया कि बालटाल में हिंदुओं को बसाने की साजिश रची जा रही है। जिस तरह इसराइल ने फलस्तीन में अपने लोगों को बसा कर जनसांख्यिकी को बदला है वैसा ही यहां भी किया जा रहा है। किसी ने यह नहीं सोचा कि बालटाल में सात से आठ महीने बर्फ रहती है। कोई भी यात्री वहां अमरनाथ नगर बसा कर रहेगा क्या? १९४७ में पाकिस्तान से जो ३०,००० शरणार्थी आकर जम्मू-कश्मीर में बसे थे उन्हें आज तक राज्य की नागरिकता नहीं दी गई है। ऐसे में क्या जम्मू-कश्मीर सरकार यात्रियों को अमरनाथ नगर बनाकर बसने देगी? जिस घाटी से तीन लाख कश्मीरी पंडित बेघर हो गए हैं और वापस नहीं जा पा रहे वहां क्या कोई यात्री जाकर रहेगा? जमीन देने का मामला पूरी

तरह से सांप्रदायिक राजनीति का शिकार हुआ है।

तो क्या सरकार को अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जमीन वापस नहीं लेनी चाहिए थी?

कांग्रेस आलाकमान के सिर पर तो तुष्टीकरण इतना ज्यादा हावी था कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जमीन ही वापस नहीं ली गई, बल्कि श्राइन बोर्ड को ही भंग कर दिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हटाया गया और सदस्यों से इस्तीफा ले लिया। कहा गया कि बोर्ड का काम सिर्फ अमरनाथ गुफा में पूजा-अर्चना यानी पुरोहिती कराने का है। ऐसी मांग तो घाटी में आंदोलनकारी भी नहीं कर रहे थे। सरकार ने जिस तरह से अलगाववादियों के आगे घुटने टेके और श्राइन बोर्ड को कमजोर किया उसी से जम्मू में आंदोलन भड़का है।

आप कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप मढ़ते हैं, लेकिन कांग्रेस आपको सांप्रदायिक करार देती है?

मैंने कश्मीर में सिर्फ 'कश्मीरियत' को ही बढ़ावा देने का काम किया। जब कट्टरपंथी इससे परेशान हो गए और उनके फतवे भी मेरे खिलाफ काम न आए तो उन्होंने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मामले को गलत रूप देकर लोगों को भड़का दिया। मैं जिस दिन अमरनाथ यात्रा का उद्घाटन करता था उसी दिन चरार-ए-शरीफ में शेख नूरुद्दीन की कब्र पर चादर चढ़ाने जाता था। हिंदू उन्हें नंद ऋषि मानते हैं। मेरे रहते ही वहां सूफी म्यूजिक फेस्टिवल हुआ जिसमें पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र से लेकर सीरिया तक से म्यूजिशियन आए। कश्मीरी संस्कृति पर खोज के लिए श्रीनगर विश्वविद्यालय में एक अलग सेंटर खोला गया। इसी साल वहां दक्षिण एशिया फाऊंडेशन के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया। पाकिस्तानी बैंड जूनून को सूफी कलाम गाने के लिए बुलाया। उनके खिलाफ आतंकियों की धमकियां भी काम नहीं आई और १०,००० लोग सुनने आए। अब अगर कोई कहता है कि मैं सांप्रदायिकता फैला रहा था तो मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता है।

कांग्रेस को दोष देने के बावजूद आप गुलाम नबी आजाद के प्रति नरम रहते हैं, ऐसा क्यों?

मेरे विचार से आजाद जितने पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री थे मुफ्ती मुहम्मद सईद उतने ही सांप्रदायिक और राष्ट्रविरोधी हैं।

कांग्रेस आलाकमान मुफ्ती की सुनता रहा, आजाद की नहीं। उसने अपनी सरकार को बलि का बकरा बना अलगाववादियों को खुश किया।

पीडीपी नेताओं पर आतंकी संगठनों से संपर्क के आरोप लगते रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?

इसमें बहुत सच्चाई है। पीडीपी नेतृत्व की आतंकियों से सांठगांठ है। पीडीपी खुले आम राष्ट्रविरोधी नीति अपनाती रही है। लोग कहते हैं कि जब १९८७-८८ में दक्षिण कश्मीर, अवंतीपुर में मंदिर तोड़े गए तो उसके पीछे मुफ्ती और उनके समर्थक ही थे। उनकी बेटी के अपहरण को भी एक नाटक बताया जाता है, जिसका मकसद आतंकियों को छुड़ाना था। यही आतंकी बाद में पाकिस्तान चले गए और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का सबसे बड़ा कारण बने।

क्या पीडीपी नेताओं के आतंकियों से संबंधों पर खुफिया एजेंसियों ने भी आगाह किया था?

मैं गोपनीय बातें जाहिर नहीं करना चाहता। इतना जरूर कहूंगा कि मुफ्ती ने हीलिंग टच के नाम पर कश्मीर में जो किया वह दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इसके तहत आतंकियों के परिवारों को पेंशन लगाई गई।

अब इस मौजूदा संकट का हल क्या है?

मामला जटिल हो गया है, फिर भी डा. कर्ण सिंह ने जो सुझाव दिए हैं, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं।

दैनिक जागरण, ११.०८.२००८

■

जय हो भारत भाग्य विधाता

çHkk"k tks'kh

सिर से गले तक ढके सुंदर चेहरे वाली महबूबा सईद को टीवी पर तुनकते-बोलते सुनता हूं तो मुझे बार-बार चंद्रशेखर की याद आती है।

चंद्रशेखर कोई चार महीने प्रधानमंत्री रहे और आम चुनाव और उसके दौरान राजीव गांधी के दुखद निधन के कारण चार महीने उन्हें और काम चलाना पड़ा। लेकिन इस बीच वे सार्क सम्मेलन में माले गए जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हुई। चंद्रशेखर इस मुलाकात में हुई बातचीत को बड़ा मजा लेकर सुनाया करते थे। उनसे दोस्ताना बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा कि भारत-पाकिस्तान में स्थायी शांति और अच्छे संबंध हो सकते हैं अगर कश्मीर आप हमें दे दें। चंद्रशेखर कहते कि मैंने नवाज शरीफ को कहा, कश्मीर तो आप अभी ले लीजिए। बस एक ही शर्त है कि कश्मीर के साथ आपको चौदह करोड़ मुसलमान भी लेने पड़ेंगे।

अगर कश्मीर भारत में नहीं रह सकता क्योंकि वह मुस्लिम बहुमत का इलाका है। तो हिंदू बहुमत वाले भारत में मुसलमान क्यों और कैसे रह सकते हैं? अगर किसी इलाके के देश में रहने न रहने का फैसला सिर्फ बहुमत के आधार पर तय होगा तो कीजिए तय। पर समझ लीजिए कि चौदह करोड़ मुसलमानों को पाकिस्तान में कहां बसाएंगे? वे पाकिस्तान की कुल आबादी को अल्पमत में ला देंगे। चंद्रशेखर बताते कि इसके बाद नवाज शरीफ ने उनसे कश्मीर की कोई बात नहीं की।

चंद्रशेखर के सामने महबूबा सईद तुनक कर कहती कि हमें मुजफ्फराबाद जाने दीजिए। वहां जाने और अपना सामान वहां से लाने और भेजने का हम कश्मीरियों को हक है तो चंद्रशेखर कहते कि हक

है तो जरूर जाइए। लेकिन सोच लीजिए, वहां जाने के बाद वापस आने-न आने देने का हक हमें है। सिर्फ इसलिए कि जम्मू वालों ने सड़क रोक रखी है आप देश छोड़कर पाकिस्तान चली जाएंगी तो जाइए। आपके लिए यह होगी सराय, हमारे लिए तो अपना देश है। और हम अपनी सीमाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कट्टरपंथी और अलगाववादी, पुराने पुलिस अफसर मान भी लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे लेकिन वे सदन में अपनी लंबी तलवार लेकर जाना चाहते थे। रोक दिए गए तो उन्होंने सिखी के नाम पर बड़ा हल्ला मचाया। चंद्रशेखर ने उनसे कहा-आप हरमंदिर साहिब में नंगे सिर नहीं जा सकते क्योंकि वह गुरु का मंदिर है। वैसे ही यह संसद बातचीत और बहस से फैसले का लोकतांत्रिक मंदिर है। यहां भी आप इतने से बड़ी कृपाण लेकर नहीं जा सकते। जैसी हरमंदिर साहिब की मर्यादा है वैसी ही लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादा है। आपको नहीं माननी तो अपने घर जाइए।

चंद्रशेखर की ये बातें दंभ और घमंड की नहीं थीं। न्याय की थीं। संस्थाओं की मर्यादा की थीं, जिनका सम्मान किए बिना लोकतंत्र क्या, आप कोई भी समाज नहीं चला सकते। अब यह सचमुच शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी नेता न्याय और संस्थाओं की मर्यादा के लिए खम ठोक कर बोलने की हिम्मत नहीं करता। नहीं तो जम्मू-कश्मीर में ये हाल हो सकते थे? इन नेताओं के कारण ही हाथ से हालत निकल जाती है। और इसीलिए लल्लू लिबरल कहने लगते हैं कि जम्मू और कश्मीर दो अलग देश हैं। साथ नहीं रह सकते। कश्मीर को आजादी चाहिए तो उसे दीजिए। फौज से तो अब उसे भारत में रख नहीं सकोगे।

छह साल से जिस जम्मू-कश्मीर में ऐसा लोकतंत्र और खुशहाली चल रही थी उसमें दो महीने में ही ऐसी हालत हो गई कि जम्मू कश्मीर को ठीक करना चाहता है और कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान में मिलना चाहता है। कहते हैं पाकिस्तान इतने साल कोशिश करके भी जम्मू-कश्मीर को आपस में ऐसी दुश्मनी से भिड़ा नहीं पाया था वह अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दो महीने के लिए कुछ एकड़ जमीन यात्रियों की सुविधा के लिए देने की पेशकश ने कर दिखाया। कहते हैं कि यह सब कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति

के कारण हुआ क्योंकि उनकी सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी गई जमीन वापस ले ली।

अब अमरनाथ यात्रा कब से सिर्फ हिन्दुओं की हो गई? कथा है कि उस गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता है, यह खोजकर एक कश्मीरी मुसलमान ने ही बताया था। उसका परिवार अब तक उस गुफा की देखभाल करता है। उस दुर्गम स्थान तक मुसलमान ही यात्रियों को ले जाते हैं। वही उनकी देखरेख और सेवा करते हैं। उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। इसमें अजीब और अचरज करने की कोई बात नहीं है। आखिर कश्मीर कब से शैव है। इस्लाम का जब जन्म भी नहीं हुआ था तब से कश्मीर शिव का पूजक है। सबसे पुराना शैव सम्प्रदाय-कालमुख-कश्मीर का है। उसके बाद पाशुपत संप्रदाय आया। जिस इलाके में शिव इतने प्राचीन हैं वहां के लोग बाद में आए इस्लाम को कबूल भी कर गए तो उनकी सामाजिक और दिव्यता के मूल्यों की परंपरा खत्म थोड़े हो सकती है। देश में ऐसे कई हिन्दू देवस्थान हैं जिनकी देख रेख और सेवा मुसलमान करते हैं और ऐसी कई मजारें और पीर हैं जिनकी सेवा हिन्दू करते हैं। पुश्त दर पुश्त यह रिवाज चला आ रहा है। अमरनाथ यात्रा हिन्दू-मुस्लिम सहयोग, सहकार और समरसता की सदियों पुरानी मिसाल है। और कश्मीर में तो इस्लाम भी सूफी परंपरा से पगा हुआ है।

फिर क्यों अमरनाथ यात्रियों के लिए अस्थायी सुविधाएं बनाने को श्राइन बोर्ड को दी गई जमीन पर कश्मीर घाटी में आग लग गई? जो यात्रा हिन्दू-मुस्लिम एकता और समरसता की ऐसी मिसाल थी उसने कश्मीर घाटी के मुसलमानों को जम्मू के हिन्दुओं के सामने दुश्मनी में क्यों खड़ा कर दिया? क्योंकि मुती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी को गठबंधन में सत्ता पहले भोग लेने के बाद चुनाव के पहले कांग्रेस से अलग होना था? क्योंकि कांग्रेस को अगले चुनाव के लिए फारुख अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस ज्यादा अच्छी साथी पार्टी लग रही थी? मुफ्ती की पीडीपी-पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहलाती है। लेकिन कांग्रेस से अलग होने के लिए उसने श्राइन बोर्ड को यात्रियों के लिए दी जा रही जमीन का साम्प्रदायिकरण करना बेहतर समझा। बिना चिंता किए कि इस फैसले में वह गुलाम नबी आजाद की सरकार के साथ थी। क्यों? क्योंकि कश्मीर में हिन्दू विरोधी और कट्टरपंथी और अलगाववादी

होना चुनाव में ज्यादा लाभदायी और काम का होता है?

ये मुफ्ती मोहम्मद सईद वही हैं जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में गृहमंत्री हुआ करते थे। ये महबूबा वही हैं जिनकी छोटी बहन रुबिया का कश्मीरी आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था और जिसे छुड़ाने के लिए गृहमंत्री सईद ने दुर्दांत आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर और उसके साथियों को छोड़ दिया था। अब इन्हीं मुती की पार्टी ने अमरनाथ यात्रियों के लिए दी जाने वाली जमीन को हिंदू-मुस्लिम का मामला बना दिया। जहर फैलाया कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देकर कश्मीर घाटी में हिन्दुओं को बसाया जाएगा ताकि वहां मुसलमानों का बहुमत न रहे। अमरनाथ यात्रा को कश्मीरी मुसलमानों में भय और अलगाव का कारण बनाकर प्रचारित किया। यानी जब हमें राज करने दोगे तब हम लोकतंत्र और भारतीय राज्य का पूरा लाभ लेंगे। लेकिन जैसे ही समझौते के मुताबिक हमें सत्ता से बाहर बैठाओगे हम अलगाववादी और भारत व हिन्दू विरोधी आग लगाएंगे ताकि आपका भयादोहन और लोगों का अलगाव भड़का कर वोट ले सकें।

शेख अब्दुल्ला से लेकर मुफ्ती मोहम्मद सईद तक सभी कश्मीरी नेताओं ने भारतीय राज्य और लोकतंत्र का ऐसा ही भयादोहन किया है। ऐसी कीमत चुकाकर और ऐसे भय में भारत क्यों रहे? भारत ने तो कश्मीर नहीं हड़पा है। राजाओं को इधर या उधर जाने की छूट थी। पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की जल्दी में कश्मीर के राजा को भारत में मिलने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी सेना फिर भी आधा कश्मीर छोड़कर हट जाती तो आत्म निर्णय कश्मीर कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान सेना से हथियाए कश्मीर को रखकर बाकी का कश्मीर आत्म निर्णय से लेना चाहता था। भारत ने ठीक ही ऐसा नहीं होने दिया। अब वह कश्मीरियों को बार-बार भड़का कर वहां आतंकवाद चलाकर आजादी की मांग करवाता है। भारत कश्मीर इसलिए छोड़ दे कि मुसलमान पाकिस्तान में मिलने का अधिकार रखते हैं। ऐसा करके तो वह पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होने के अपने अस्तित्व के सिद्धांत को ही तोड़ देगा। हम हिन्दू भारत नहीं होना चाहते। जैसा कश्मीरियों को आत्म निर्णय का अधिकार है भारत को भी आत्म निर्णय का हक है।

फिर जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को मारकर और इनके घर जलाकर घाटी से खदेड़ दिया तब क्या कश्मीर की आबादी बदली नहीं जा रही थी? कश्मीरी पंडितों का कश्मीर पर कश्मीरी मुसलमानों से कम अधिकार है? वे जब खदेड़े जा रहे थे तो क्या कश्मीरी मुसलमानों ने उनकी रक्षा की? उन्हें अपने में मिलाकर कश्मीरी सामाजिक सुरक्षा दी? आतंकवादियों के सामने तो कश्मीरी मुसलमान डरकर चुप हो जाते हैं। लेकिन अमरनाथ श्राइन बोर्ड को यात्रियों के लिए भी जमीन दी जाए तो कश्मीरी मुसलमान आतंकवादियों के साथ हो जाते हैं। इस दोगलेपन को कोई इंसाफ कह सकता है? जो कश्मीरी मुसलमान अपने ही कश्मीरी पंडित भाइयों की रक्षा नहीं कर सकते उन्हें भारतीय पुलिस और सेना की रक्षा क्यों चाहिए? कश्मीरी मुसलमानों को इंसाफ चाहिए, कश्मीरी पंडितों को नहीं चाहिए इंसाफ? इंसाफ क्या ब्लेकमेल करने वालों को ही मिलेगा?

कश्मीर को आजादी दे दो तो सिखों को खालिस्तान क्यों नहीं? असम को अलग देश मानने और बनाने वाले असमिया हिन्दुओं को क्यों नहीं? उत्तर पूर्व के नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर आदि को स्वतंत्र देश क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल को बंगलादेश से मिलकर अलग बंगला राष्ट्र क्यों नहीं? यानी भारत वह क्यों नहीं करे जो सन् सैंतालिस में अंग्रेज भारत का करना चाहते थे, पर कर नहीं सके। अब वह विविधता, बहुलता और धर्मनिरपेक्षता का महादेश क्यों बना रहे? पाकिस्तान उसको ऐसा नहीं रहने देना चाहता। चीन और अमरीका भी नहीं चाहते। भारत खंड-खंड होकर बिखर जाए ऐसा दुनिया के कई राष्ट्र चाहते हैं। स्वतंत्र, संप्रभु और शक्तिशाली राष्ट्रों का जमाना गया। अब भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का जमाना है। एकमात्र महाबली महाराष्ट्र अमरीका है। उसे ही दुनिया मानो और उसमें विलीन हो जाओ। महाबली के आगे किसी की चल सकती है? राष्ट्रवाद और राज्यवाद और रामराज्य सब कालबाह्य हो गए हैं। सत्य सिर्फ नव उदार अर्थव्यवस्था और टेक्नालोजी है। उन्हें मानो और मोक्ष पाओ।

भारत नामक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य हमने इसीलिए बनाया था। जय हो भारत भाग्य विधाता।

(जनसत्ता से साभार) ■

जम्मू के साथ सौतेलापन

l:t ; x|r

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा के निर्देश पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को अस्थाई रूप से दी गई भूमि का आवंटन रद्द होने के बाद से जम्मू संभाग की जनता द्वारा शुरू किया गया आंदोलन अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा। चूंकि जिस समय यह आवंटन रद्द किया गया उस समय केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था और संप्रग सरकार खुद को बचाने में लगी हुई थी इसलिए जम्मू के उग्र आंदोलन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। विडंबना यह रही कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होने और इस तरह राज्य की कमान केंद्रीय सत्ता के हाथों में आने के बाद भी जम्मू की अनदेखी की गई। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाना पड़ा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद सरकार द्वारा अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन के सवाल पर सत्ता में साझीदार पीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया था। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन का कश्मीर घाटी में जैसा विरोध हुआ उससे देश का हिंदू समाज पहले ही आहत था। रही-सही कसर भूमि आवंटन का फैसला रद्द होने से पूरी हो गई। इस घटनाक्रम पर केंद्र सरकार या तो मौन धारण किए रही या फिर गुलाम नबी आजाद और एनएन वोहरा के फैसलों पर सहमति जताती रही। चूंकि जम्मू की जनता पिछले ६० वर्षो से राज्य और केंद्र सरकार की उपेक्षा से त्रस्त थी इसलिए भूमि आवंटन को रद्द करने के अनुचित फैसले ने उसके संयम का बांध तोड़ दिया। वहां पिछले लगभग ४० दिनों से धरना-प्रदर्शन और बंद का सिलसिला कायम है। जम्मू के लोग इतने अधिक कुपित है कि वे कर्फ्यू और सेना की भी परवाह नहीं कर रहे है।

केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह जम्मू की नाराजगी दूर करने के लिए आगे आती, लेकिन वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इससे वहां के लोगों का गुस्सा और बढ़ता चला गया। इस गुस्से को पुलिस के दमनकारी रवैये ने भी बढ़ावा दिया। इस दमनचक्र के चलते वहां अनेक लोग मारे गए। इन मौतों ने लोगों के गुस्से को भड़काया और उन्होंने श्रीनगर राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। केंद्र की नींद तब खुली जब जम्मू के आंदोलन की प्रतिक्रिया कश्मीर घाटी में भी होने लगी और वहां के व्यापारी मुजफ्फराबाद कूच की धमकी देने लगे। समस्या समाधान के नाम पर केंद्र सरकार ने एक माह बाद सर्वदलीय बैठक तो बुलाई, लेकिन ऐसा कुछ भी करने से इनकार किया जिससे जम्मू की जनता का आक्रोश कम होता। चूंकि जम्मू के लोगों को बिना कोई आश्वासन दिए वहां एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया गया इसलिए उसका विरोध होना स्वाभाविक है और उसके माध्यम से कोई नतीजा निकलने के आसार भी कम हैं।

जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद से ही जम्मू संभाग के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। कश्मीर घाटी को खुश करने के लिए अनुच्छेद ३७० का प्रावधान तो बनाया ही गया, उसे अन्य अनेक विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई। केंद्रीय सहायता का अधिकांश हिस्सा कश्मीर घाटी पर खर्च होता है। इसकी एक वजह जम्मू-कश्मीर शासन और प्रशासन में घाटी के लोगों का वर्चस्व होना है। १९८० के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया तो वहां के कश्मीरी पंडितों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वे अभी भी जम्मू संभाग के विभिन्न इलाकों में शरणार्थी जीवन बिताने के लिए विवश है। उनकी घर वापसी की परवाह न तो राज्य सरकार कर रही है और न ही केंद्र सरकार।

कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद कश्मीरियत का चेहरा ही बदल गया। घाटी का न केवल मुस्लिमकरण हो गया है, बल्कि वह मुस्लिम वर्चस्व वाली भी हो गई है। अब स्थिति यह है कि घाटी के इस्लामिक चरित्र की दुहाई देकर ही नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और हुर्रियत कांफ्रेंस सरीखे संगठन अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन न देने की वकालत कर रहे है। यह तब है जब जमीन का आवंटन अस्थाई रूप से होना है और उसका इस्तेमाल वर्ष में महज दो माह

के लिए किया जाना है। यह वन विभाग की बंजर जमीन है, जिसे न तो कोई इस्तेमाल करता है और न वहां कुछ पैदा होता है। इस जमीन पर अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए अस्थाई शिविर बनाने की योजना थी, ताकि उन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके। घाटी के लोगों को यह भी मंजूर नहीं। इस नामंजूरी के खिलाफ ही जम्मू के लोग असंतोष से भर उठे है। वे इसलिए और गुस्से में है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ-साथ देश के ज्यादातर राजनीतिक दल भी उनकी भावनाओं की उपेक्षा कर रहे है।

केंद्रीय सत्ता जानबूझकर इस तथ्य की अनदेखी कर रही है कि जम्मू का आंदोलन केवल अमरनाथ संघर्ष समिति का आयोजन नहीं है और न ही यह भाजपा के नेतृत्व में चल रहा है। यह आंदोलन तो जम्मू की जनता का है। शायद इसी कारण कांग्रेस के सांसद भी एनएन वोहरा को हटाने की मांग कर रहे है। दरअसल अब जम्मू की जनता ने केंद्र सरकार से अपनी अनवरत उपेक्षा का हिसाब लेने का निश्चय कर लिया है। ये वही लोग है जो आतंकवाद के चरम दौर में भी शांत बने रहे, लेकिन अब और अधिक उपेक्षा सहन करने के लिए तैयार नहीं। जम्मू की जनता को राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी भरोसा नहीं। आज जो सवाल जम्मू की जनता का है वही शेष देश का भी है कि आखिर कश्मीर घाटी के अलगाववादियों का तुष्टिकरण कब तक और किस हद तक किया जाएगा? क्या पंथनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ हिंदुओं की उपेक्षा करना है? कुछ बुद्धिजीवियों ने यह तर्क दिया है कि जब जम्मू-कश्मीर सरकार अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की देखभाल खुद करने के लिए तैयार है तो फिर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन की जरूरत ही क्या रह जाती है? इन बुद्धिजीवियों को यह बताना होगा कि यदि महज सौ एकड़ भूमि दो महीने के लिए श्राइन बोर्ड के पास बनी रहे तो उससे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? उन्हें यह पता होना चाहिए कि जब तक वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थ यात्रियों की देखरेख का काम राज्य सरकार के हाथों में रहा तब तक वहां कैसी अराजकता और अव्यवस्था रहा करती थी? क्या ये बुद्धिजीवी यह चाहते है कि अमरनाथ तीर्थयात्री पहले की तरह अव्यवस्था भोगते रहे?

यदि केंद्र सरकार शिवराज पाटिल के नेतृत्व में सर्वदलीय

प्रतिनिधिमंडल जम्मू भेजने के पहले यह संकेत भर दे देती कि वह अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस सौंपने पर विचार करेगी तो इससे जम्मू के साथ-साथ शेष देश के हिंदुओं की आहत भावनाओं पर मरहम लगता, लेकिन उसने इस पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। लगता है कि उसे यदि किसी की परवाह है तो सिर्फ घाटी के अलगाववादियों की। अगर ऐसा नहीं है तो वह ऐसे संकेत क्यों दे रही है कि जम्मू और शेष देश के लोग यह भूल जाएं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कभी कोई जमीन देने का फैसला किया गया था। इस फैसले पर कश्मीर घाटी का नेतृत्व करने वाले लोगों ने जिस छोटी मानसिकता का परिचय दिया, जिसमें महबूबा मुफ्ती से लेकर फारुख अब्दुल्ला तक शामिल है उससे आम हिंदू कुपित भी है और आहत भी। वे स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे है। जम्मू के लोग इस अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि जम्मू के लोगों का आंदोलन पुलिस और सेना की सख्ती के कारण थोड़ा धीमा पड़ जाए, लेकिन उनकी आहत भावनाएं राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा असर डालेंगी।

दैनिक जागरण, १०.०८.२००८

■

कृपया जम्मू को जलने से बचाइए

'kf'k 'k[kj

जम्मू में यह क्या हो रहा है? क्या सरकार ने वहां इमरजेंसी लगा दी है? अगर हां, तो इसकी घोषणा कब हुई? अगर नहीं, तो वहां लाखों लोगों की जन भावनाओं से खेलने, उनके मौलिक अधिकारों को बाधित करने और मीडिया पर अलोकतांत्रिक हमलों के लिए जिम्मेदार कौन है?

कभी धाकड़ नौकरशाह रहे एन.एन. वोहरा ने जब राज्यपाल की कुरसी संभाली थी, तो उम्मीद बंधी थी। वोहरा के बारे में प्रचलित धारणा है कि वह जम्मू-कश्मीर मसलों के गहरे जानकार हैं। इसीलिए नई दिल्ली की हुकूमत ने उन्हें अपना मुख्य वार्ताकार बना रखा था। यह सच है कि अपनी पिछली जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने कई बेहतरीन कामों को अंजाम दिया। लेकिन गवर्नरी पाते ही पता नहीं, उन्हें क्या हो गया? उन्हें जब राजभवन नसीब हुआ, तब रियासत की सरकार लड़खड़ा रही थी। खुद को चाणक्य से भी आला राजनीतिज्ञ समझने वाले गुलाम नबी आजाद पीडीपी से कांग्रेस के पुराने रिश्तों को कायम रखने में नाकाम साबित हुए थे। उन्होंने मुफ्ती परिवार की बैसाखी के बिना चलने की कोशिश की, पर औंधे मुंह जा गिरे। यही वजह है कि वोहरा साहब से रियासत के लोगों की आस काफी बढ़ गई थी। समझा जा रहा था कि दिल्ली की हुकूमत का उनके सिर पर हाथ है और सूबे के हालात की जानकारी वह रखते ही हैं। लिहाजा हालात सुधरेंगे। पर प्रथम ग्रासे मक्षिकापातः। पहले ही हफ्ते में उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए वर्षों से प्रयोग में लाई जा रही जमीन को श्राइन बोर्ड के हाथ से छीन लिया और सीधे हुकूमत की सुपुर्दगी में दे दिया। उनके अलंबरदार आसानी से कह रहे हैं कि इससे फर्क क्या पड़ता है? श्राइन बोर्ड हो या सरकार, दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों का

निर्वाह करने में सक्षम हैं। अमरनाथ यात्रा पहले की तरह जारी रहेगी। पर बात इतनी-सी नहीं है। इस फैसले से पहले घाटी आंदोलन की आग से सुलग रही थी। गुमनामी की गर्त में खो चले कई नेता अपनी दुकान फिर से जमाने में जुट पड़े थे। उनकी मांग थी कि जमीन के इस टुकड़े को सरकार के हवाले कर दिया जाए। कहने की जरूरत नहीं कि जम्मू और लेह के लोगों के मन में घाटी के प्रति एक खास किस्म की ग्रंथि है। वे मानते हैं कि सरकार हर बार उनकी उपेक्षा करती है और घाटी के नुमाइंदों की तुष्टि में आगे रहती है। जमीन वापसी के फैसले ने इस ग्रंथि को बुलंद कर दिया। जम्मू जल उठा है। पिछले चौंतीस दिनों में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को अनेक बार गोलियां चलानी पड़ीं। गोलियों की बौछार से अब तक पांच लोग जान गंवा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं।

विरोध की आग जम्मू खित्ते के सात प्रमुख शहरों में फैल गई है। इनमें से पांच जिले कर्फ्यू की चपेट में हैं। पर लोग हैं कि दबने को तैयार नहीं। हुकूमत दमन के सारे तरीके अपना रही है, पर आम आदमी का प्रतिरोध मुखर होता जा रहा है। बिना किसी सियासी आवाहन के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और सुरक्षा बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। वर्षों बाद जम्मू की आग दिल्ली के दामन को गरमा रही है। ऐसे में हुकूमत से अपेक्षा की जाती है कि वह सब्र से काम ले। वोहरा साहब वार्ताकार रहे हैं। वह जानते हैं कि गोलियां किसी समस्या का समाधान नहीं होतीं। अगर होतीं, तो जम्मू-कश्मीर को बहैसियत वार्ताकार उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सेना ने इस मसले को कब का सुलझा लिया होता। पर दुर्भाग्य से उन्होंने ही जम्मू को सेना के हवाले कर दिया।

सेना का अपना तरीका होता है। तीन अगस्त को उसकी बानगी देखने को मिली। पुलिस और सेना के लोगों ने जम्मू के एक केबल ऑपरेटर के यहां छापा मारा। इससे लोग भड़क उठे। नारे लगाते हुए लोग घरों से निकल आए और छोटी-मोटी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस अनियोजित प्रतिरोध को रोकने के लिए पुराना तरीका आजमाया गया। लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इससे एक राष्ट्रीय चैनल का पत्रकार भी घायल हो गया। पत्रकारों पर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 'अमर उजाला' के फोटोग्राफर को

पीट-पीटकर अधमरा कर दिया गया था। उसने भूमि आंदोलन के लिए जान देने वाले एक भारतीय नागरिक के शव को घसीटते पुलिस वालों का फोटो खींचने का दुस्साहस किया था। हमारी संस्कृति में मृत देह सम्मान की पात्र होती है। पर वह फोटो गवाह है कि हमारे सुरक्षाकर्मी इतने संवेदनहीन हो जाते हैं कि उन्हें अपनी रगों में बहती परंपराओं की भी परवाह नहीं रहती। यही नहीं, सेना के लोग जब-तब पत्रकारों को धमका रहे हैं। क्या चाहती है जम्मू-कश्मीर की हुकूमत? क्या वह हर उस आईने को तोड़ देना चाहती है, जिसमें उसकी करनी का बदसूरत चेहरा दिखता है? क्या वह भूल गई है कि भारत में लोकतंत्र है? अभिव्यक्ति की आजादी के अपने मायने हैं और इसके लिए लड़ाई की लंबी परंपरा है? हम गर्व कर सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर के पत्रकार तमाम जहमतों को उठाकर भी इस गौरवशाली परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। न श्रीनगर के सत्ता-सदन में बैठे लोग और न ही दिल्ली के सुरक्षित कार्यालयों में जमे हुक्मरानों को यह भूलना चाहिए कि घाटी पहले से ही सुलग रही है और ऐसे में, जम्मू में शोलों को हवा देना खतरनाक हो सकता है। फिर यह अकेला जम्मू-कश्मीर का मुद्दा नहीं है। अमरनाथ यात्रा पूरे देश के बहुसंख्यकों के लिए बहुत मायने रखती है। फिर सबसे अधिक पूजी जाने वाली देवियों में एक माता वैष्णो का दरबार भी वहीं है। जम्मू की घटनाएं पूरे देश के मानस को प्रभावित कर रही हैं। इन्हें समय रहते रोकना होगा। इसके लिए चाहिए न्याय बुद्धि, विवेक और निर्णय करने की क्षमता। अफसोस, कांग्रेस की सरकारें कई बार इसमें अक्षम साबित हुई हैं। पंजाब में जब भिंडरांवाले ने १९७७ के आसपास धर्म के नाम पर ऊटपटांग हरकतें शुरू की थीं, तब दिल्ली का दरबार उसके प्रति उतना सचेष्ट नहीं था, जितना होना चाहिए था। अंजाम सबको मालूम है। हमने उस दौरान क्या नहीं खोया? हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री खुद सिख हैं। उन्होंने श्री हरमिंदर साहिब पहुंचकर देश की ओर से तमाम हादसों के लिए प्रायश्चित किया था। अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री की करतूतों के लिए उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी थी। उम्मीद है आने वाले प्रधानमंत्रियों को वह ऐसा दिन देखने का मौका नहीं देंगे।

(लेखक अमर उजाला से जुड़े हैं)

अमर उजाला, ०४.०८.२००८ ■

जम्मू कश्मीर में तनीं शमशीर

dY;k.kh 'kdj

राजनीतिक दलों को यह महसूस करना चाहिए कि किसी मुद्दे पर लोगों की भावनाओं को उकसाना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक ऐसा ही जम्मू और कश्मीर में हुआ है, जहां स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। राज्य और केन्द्र सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि इस आग को कैसे शांत किया जाए। अगर राज्य में आर्थिक नाकेबंदी ऐसे ही जारी रही तो यह अन्तरर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, जो केन्द्र सरकार नहीं चाहती। यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ओर प्रधानमंत्री इस समस्या के समाधन के लिए भाजपा के दरवाजे को खट-खटा रहे हैं, लेकिन भाजपा उनका सहयोग करने के मानस में नहीं है।

क्या राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव इसकी एक प्रमुख वजह है? जम्मू और कश्मीर के मामलों से जुड़े रहे एक उच्च सेवानिवृत्त अधिकारी ने तीन महीने पहले राज्य का दौरा किया था और यह बताया था कि वहां सब कुछ सामान्य है। अलगाववादियों का आधार कम हो रहा था। पहले राज्यपाल ले. जनरल (सेवानिवृत्त) एस.के. सिन्हा और बाद में मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद द्वारा किए गए निर्णयों से हुई इस गड़बड़ी के बारे में वे अब कुछ भी कह पाने में असमर्थ है। इस हिंसा के पीछे संदिग्ध नजर आ रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किनारे खड़ी होकर आनन्दित हो रही है। श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ गुफा बहुत पूजनीय है। केवल गर्मियों के दो महीनों में ही होने वाली इस तीर्थ यात्रा को श्रद्धालु बड़े साहस के साथ पूरी करते है। अन्य महीनों में गुफा का रास्ता भारी बर्फबारी के चलते बंद रहता है। यह पवित्र गुफा १२,७६० फीट की ऊंचाई पर

श्रीनगर से १४१ किलोमीटर दूर स्थित है। इस गुफा को सन् १८५० में एक मुस्लिम चरवाहे बुटा मलिक ने खोजा था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को सृष्टि की रचना के बारे में इसी गुफा में ज्ञान प्रदान किया था। एक ऐसी ही ऐतिहासिक घटना तब फिर घटी जब बुटा मलिक को इस गुफा में एक संत ने कोयलों से भरा एक थैला दिया। मलिक जब थैले को घर लेकर गया और देखा तो उसमें कोयले की जगह सोना भरा हुआ था। मलिक संत ढूंढने वापस गुफा में आया, लेकिन उसने संत के स्थान पर बर्फ से निर्मित शिवलिंग को वहां पाया। मलिक वापस अपने गांव गया और लोगों को इस बारे में बताया। बस उसी दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। अमरनाथ तीर्थयात्रियों और क्षेत्रीय मुस्लिम लोगों में दशकों से बेहद मजबूत रिश्ता कायम है। हिन्दू लोग दूर-दूर से पूजा के लिए वहां पहुंचते हैं और स्थानीय मुस्लिम लोग उन्हें उनकी जरूरतों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था तब भी अमरनाथ यात्रा बाधित नहीं हुई थी।

फिर इस गड़बड़ी के कारण क्या है? अचानक यह मुद्दा जम्मू बनाम कश्मीर बन गया है। हर कोई राज्यपाल सिन्हा और मुख्यमंत्री आजाद को दोषी ठहरा रहा है। आजाद को दोष्ज्ञी इसलिए ठहराया जा रहा है कि उन्होंने पहले तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन आवंटित कर दी और फिर अपने निर्देशों को वापस ले लिया। २६ मई को केन्द्र और राज्य सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अस्थाई शरण स्थल बनाने के लिए १०० एकड़ वन भूमि को बोर्ड को देने के लिए सहमत हुई थीं। आजाद ने सोचा था कि इस निर्णय से जम्मू क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को लाभ होगा।

शुरू में इस वन भूमि का विरोध पर्यावरणविदों ने किया था। उनका मानना था कि इससे पारिस्थितिकी को नुकसान होगा। ज्योंहि विरोध का स्वरूप व्यापक हुआ तो राजनीतिक दल भी आगामी चुनावों को देखते हुए इसमें कूद गए। पीडीपी पहला दल था, जो इसमें शामिल हुआ। यह जानते हुए भी कि तत्कालीन वन मंत्री काजी अफजल पीडीपी से संबंधित है और भूमि आवंटन के समय वे ही मंत्रालय के प्रमुख थे, पीडीपी ने आजाद सरकार से समर्थन वापस ले लिया और आवंटन के निर्देशों को वापस लेने की मांग करने लगी। इस मुद्दे को संभालने में विफल आजाद सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री आजाद ने सोचा था कि उनकी

सरकार को नेशनल कांफ्रेंस बचा लेगी, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा क्योंकि नेशनल कांफ्रेंस भी इस दौरान अपना राजनीतिक खेल खेलने में लगी हुई थी। इस बीच सरकार को भाजपा से भी खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में भाजपा की अच्छी पकड़ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इन सबमें जम्मू बनाम कश्मीर का एक पहलू और भी है। हुर्रियत सहित कश्मीरी अलगाववादी यह बहाना बना रहे हैं कि तीर्थयात्रियों की नई बस्ती पहलगाम और सोनमर्ग दोनों स्थानों के पर्यावरण को प्रदूषित करेगी। राज्यपाल सिन्हा के स्थान पर एन.एन. वोहरा को भेजा गया। वोहरा ने ऐसे समय में कार्यभार संभाला है जब कश्मीर एक बार फिर से वर्ष नब्बे के दशक में लौट आया है और भूमि हस्तांतरण के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालात ऐसे बिगड़े है कि राज्य का साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया है। जब श्राइन बोर्ड ने भूमि प्राप्ति के लिए किया गया आवेदन ही वापस ले लिया था और सरकार ने तीर्थयात्रा की जिम्मेदारी वहन करने की घोषणा कर दी थी, तो विवादों का अंत उसी समय हो जाना चाहिए था। असल में विभिन्न राजनीति खिलाड़ी भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों पर भी अपने चुनावी हितों को देखते हुए राजनीति करते हैं। अब स्थिति नियंत्रण के बाहर हो रही है क्योंकि विरोध प्रदर्शन अन्य राज्यों में भी फैल रहा है।

यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस गंभीर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह और भी अच्छा संकेत है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्राथमिक रिपोर्ट बनाने के लिए राज्य का दौरा कर रहा है। यह भी अत्यावश्यक है कि तीर्थयात्रियों को सुविधाएं, सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था और सुरक्षित रास्ता मुहैया करवाया जाना चाहिए। राज्य के लोग पहले ही पिछले दो दशकों से आतंकवाद से पीड़ित है। उहें कम से कम अब और पीड़ा से तो बचाना ही चाहिए। इस समस्या का सौहार्दपूर्ण हल निकलना चाहिए। सबसे पहली बात तो केन्द्र व राज्य को मिलाकर हालात को नियंत्रण में कर उन्हें जल्द से जल्द हटानी चाहिए ताकि लोग सामान्य जीवन जी पाने में समर्थ हो सकें। राजनीतिक दलों को भी अपने क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठकर जम्मू और कश्मीर में शांति लौटाने के लिए प्रयास करने चाहिए।

■

कश्मीर में भारत विरोधी माहौल की चुनौती

voèk'k d|ekj

क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं कि हमारे देश में खड़ा होकर कोई 'भारत की मौत आई, लश्कर आई लश्कर आई', 'जियो-जियो पाकिस्तान' का नारा लगाए और हमारी पुलिस, अर्धसैनिक बल जड़वत खड़े सुनते रहें? कश्मीर में यही हो रहा है। १८ अगस्त को श्रीनगर में इस्लाम के हरे झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा लहराने वालों का हुजूम सरेआम भारत विरोधी नारे लगाता घूमता रहा और प्रशासन मूकदर्शक की भूमिका में रहा। तब से लगातार यही नजारा वहां दिख रहा है। जबसे जम्मू में आर्थिक नाकेबंदी का झूठा हौवा खड़ा करके मुजफ्फराबाद चलो का आह्वान हुआ है अलगाववादियों को पर लग गए हैं। कुछ समय पूर्व हुर्रियत कॉनफ्रेंस के जो नेता बेकारी की हालत में थे अचानक उनके चेहरे पर चमक आ गई है। उनको अलगाववाद की आग फैलाने का काम फिर मिल गया है। पूरे कश्मीर में अलगाववाद की लहर पैदा करने की कोशिश हो रही है। लोगों के अंदर यह बात बिठाने की भी कोशिश हो रही है कि भारत से अलग होने का यह सबसे माकूल समय है। इसी भावना के तहत संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यवेक्षक कार्यालय के सामने अब तक की सबसे बड़ी भारत विरोधी रैली करके उसे ज्ञापन देकर आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लागू करने की मांग की गई।

यह सब तब हुआ जब केंद्र सरकार लगातार सर्वदलीय बैठकें कर रही थी। इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक ओर कश्मीर में भारत विरोधी हरकतों को चरम पर पहुंचाने का काम हो रहा है और प्रधानमंत्री कश्मीर में शांति बहाली की अपील कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? क्या प्रधानमंत्री मानते हैं कि 'हमारी मंडी, हमारी मंडी, रावलपिंडी,

रावलपिंडी', 'हमें क्या चाहिए आजादी', छीन के लेंगे आजादी', 'हम हिंद से कश्मीर को आजाद कराके रहेंगे, हम कौम के नौजवान हैं जेहाद करेंगे' आदि नारे लगाने वाले उनकी अपील से शांति स्थापना के काम में लग जाएंगे? यह स्थिति एक दिन में पैदा नहीं हुई है। वैसे तो कश्मीर को असामान्य व विशिष्ट राज्य मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है और वहां अलगाववाद की पुरानी पृष्ठभूमि है किंतु तत्काल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जमीन आवंटन विवाद के साथ धीरे-धीरे अलगाववादियों एवं अतिवादियों ने स्थिति को यहां तक पहुंचा दिया है।

गत १७ अगस्त को भी पैम्पोर के विरोध प्रदर्शन में ज्यादातर काले झंडे दिख रहे थे। एक दिन बाद उन काले झंडे का स्थान हरे एवं पाकिस्तानी झंडों ने ले लिया। ऐसा लगता है मानो प्रशासन ने अलगाववादियों को सरेआम भारत विरोधी गतिविधियां चलाने की छूट दे दी है। ऐसा यूं ही नहीं हो सकता। निश्चय ही सुरक्षा बलों को किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा वे अपनी आंखों के सामने इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कश्मीर के लोगों के विरोध प्रदर्शन के अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता, किंतु विरोध प्रदर्शन की कुछ सीमाएं हैं। इसमें देश विरोधी हरकतों की छूट शामिल नहीं है। केवल भारत के जनमानस में नहीं संविधान के अनुसार भी जम्मू-कश्मीर भारतीय भूभाग का अभिन्न अंग है और वहां से अगर कोई भारत विरोधी तथा पाकिस्तान या आजादी के समर्थन में नारे लगाता है, भाषण देता है या भारत के खिलाफ विद्रोह करने के लिए लोगों को उकसाता है तो यह अपराध है। अलगावादी नेता एवं उनके समर्थक यही कर रहे हैं। इन सबको सहन करने का अर्थ है ऐसी गतिविधियों को और बढ़ावा देना। एक बार लगाम हाथ से छूटने के बाद घोड़े को काबू करना आसान नहीं रहता। सच कहा जाए तो सरकार के गलत रवैये के कारण कश्मीर ऐसी अवस्था में पहुंच रहा है जहां से उसे कुछ सप्ताह पूर्व की अवस्था में वापस लाना कठिन हो जाएगा। जो कुछ पिछले एक दशक में प्राप्त किया गया था उसे सरकार ने अपनी नाकामियों से गंवा दिया है।

सरकार कह रही है कि ऐसे विरोधों द्वारा पाकिस्तान की योजना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा है तो आप अंजाम देने वालों को

कानून की जद में लाने का साहस क्यों नहीं करते? पाकिस्तान अपनी योजना को कामयाब करने में सफल हो रहा है तो यह किसकी विफलता है? यह बात सही है कि कश्मीर के हालात पर पाकिस्तान की ओर से हाल में जैसी टिप्पणियां की गई हैं उनका असर यहां पड़ा है। पाक विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र संघ से हस्तक्षेप करने का औपचारिक अनुरोध करने का बयान दिया और इस बयान के तुरंत बाद अलगाववादियों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यवेक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने का निश्च किया। पाकिस्तान ने इस्लामी सम्मेलन संगठन या ओआईसी एवं मानवाधिकार संगठनों से वहां ध्यान देने की अपील की और घाटी में भी यह अपील गूंज रही है। अलगाववादियों की मंशा जानते-समझते हुए भी प्रशासन ने सख्ती क्यों नहीं बरती? क्यों श्रीनगर की ओर बढ़ते भारत के खिलाफ नारे लगाते हुजूम को रोक नहीं गया। अगर प्रशासन ने ठीक से प्रबंध किया होता तो इतना बड़ा भारत विरोधी प्रदर्शन संभव नहीं हो सकता था। सुरक्षा बलों की ज्यादती का हम भी समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर कोई स्वयं को देश का वासी ही मानने को तैयार नहीं, यहां के संविधान एवं कानून को ठेंगे पर रखने की हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त व्यवहार ही एकमात्र विकल्प बचता है। देश की एकता एवं अखंडता सर्वोपरि है। एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न करने वाले वास्तव में देश के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा देशद्रोहियों के साथ होता है। आखिर 'भारत का यार गद्दार, गद्दार' जैसे नारे को हम कैसे सहन कर सकते हैं? इन सबको सहन करने का अर्थ है भारत के साथ लगाव रखने वालों को कमजोर करना। ऐसी ही स्थिति २० वर्ष पहले कायम हुई थी जिसमें कई लाख कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ा था और आतंकवादियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। प्रशासन मूकदर्शक रहकर अलगाववादियों का हौसला बढ़ा रहा है और भारत समर्थक कमजोर हो रहे हैं। यह आत्मघाती रवैया है। वास्तव में कश्मीर ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां भारत के समर्थन में बात करने से लोग डरने लगेंगे।

यह तो हुर्रियत नेताओं का आपसी विरोध है जिस कारण वे एक साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। सैयद अली शाह गिलानी

खुलेआम कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हम ही हैं, क्योंकि हम इस्लाम के बंधन से बंधे हैं। इस पर उनके समर्थकों ने नारा लगाया, 'हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है।' उन्होंने कहा कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय ही एकमात्र रास्ता है। इतना बड़ा समूह इस प्रकार का भाषण सुनने के बाद वापस जाकर क्या करेगा? वस्तुतः चारों ओर भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हुर्रियत के नेताओं के बीच पाकिस्तान के साथ विलय एवं आजादी को लेकर आपस में मतभेद हैं, इसी कारण उनके बीच पूर्ण एकता नहीं हो पाती है। आजादी समर्थकों ने लगातार गिलानी के पाकिस्तान प्रेम का विरोध किया है। नेतृत्व को लेकर भी इनके बीच मतभेद हैं। हुर्रियत की रैली में गिलानी ने उपस्थित जन समुदाय से यह पूछा कि क्या उनके नेतृत्व पर उन्हें विश्वास है? इसके विरोध में मीरवायज उमर फारूख, शब्बीर शाह, यासीन मलिक आदि मंच से उतरकर चले गए। वास्तव में प्रशासन की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। प्रशासन ने तो उन्हें जैसा चाहें वैसा करने की अघोषित छूट दे रखी थी। इस शर्मनाक बेचारगी का अंत होना चाहिए। भारत विरोध की आग जितनी विकराल हो रही है वह भयभीत करने वाली है। सरकार को यह विचार करना चाहिए कि यह किसी की भावना का या मानवाधिकार का ध्यान रखने का विषय नहीं है। इस समय देश की एकता-अखंडता कायम रखने के साथ संप्रभुता साबित करने का प्रश्न सामने है। ये अलगाववादी भारत की जमीन से पाकिस्तान, आतंकवाद एवं आजादी के समर्थन में नारे लगाकर देश की एकता अखंडता के साथ राज्य की संप्रभुता को ही नकारने पर तुले हैं और इसकी रक्षा के लिए कोई भी कीमत कम है।

ट्रिब्यून

■

विनाशकारी विकल्प

vkfjQ egEen [kk

साफ शब्दों में आतंकवाद को परिभाषित किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह ऐसा योजनाबद्ध सशस्त्र संघर्ष है जिसका निशाना निहत्थे नागरिक होते हैं तथा इसका उद्देश्य सामान्य नागरिकों के उस संकल्प को नष्ट करना है जिसके द्वारा वे उन नीतियों को अपना समर्थन देते हैं जो नीतियां आतंकियों को स्वीकार्य नहीं हैं। आतंकी हिंसा में मरने वाले लोगों की लाशें, क्षतिग्रस्त इमारतें या जले हुए वाहन आतंकियों की सफलता का प्रमाण नहीं हैं, लेकिन अगर आतंकवाद ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि हम राष्ट्रीय अखंडता तथा अस्मिता के प्रश्नों पर अपनी मान्यताओं तथा आदर्शों की फिर से समीक्षा करने लगें या उनको संशोधित करने के लिए तैयार हो जाएं तो यह निश्चित ही आतंकवाद की बड़ी सफलता है। पिछले एक सप्ताह में हमारे देश के कुछ प्रमुख अंग्रेजी पत्रों में नामी लेखकों द्वारा जिस प्रकार कश्मीरी आतंकवाद की पैरवी की गई उसने लोगों को चौंका दिया है। उदारवादी लोकतंत्र के नाम पर ऊपर से अच्छी लगने वाली ऐसी दलीलें दी गई हैं जिससे जनमानस को ऐसे भारत को स्वीकार करने के लिए तैयार किया जा सके जो भारत कश्मीर विहीन हो। एक लेख में कहा गया है कि भारत तथा कश्मीर, दोनों को एक-दूसरे से आजादी पाने की आवश्यकता है। दूसरे लेख में कश्मीरी अलगाववाद तथा कश्मीर के कारण होने वाले महंगे खर्चों के आधार पर यह प्रश्न किया गया है कि यदि कश्मीरी लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो हम उनसे क्यों चिपटे रहना चाहते हैं? तीसरे लेख में और भी आगे बढ़कर अलगाववादी गतिविधियों को भारतीय उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलने वाले आंदोलन के अलंकार से विभूषित किया गया है।

मैं नहीं जानता कि पहले लेख में किस आजादी की बात की गई है। आजादी गुलामी से मुक्ति पाने का नाम है, आजाद लोगों को आजादी दिलाने की बात ऐसी है जैसे जागे हुए व्यक्ति को जगाने की बात की जाए। १९४७ में कश्मीर का भारत के साथ विलय किसी फौजी कार्रवाई का परिणाम नहीं था, बल्कि यह विलय कश्मीर पर अक्टूबर १९४७ में हुए पाकिस्तानी घुसपैठी हमले का नतीजा था। आजादी के पश्चात् कश्मीर के महाराजा ने पाकिस्तान के साथ ठहराव संधि कर ली थी, जिसका अर्थ था कि अंतिम फैसला होने तक मौजूदा व्यवस्था चलती रहेगी। महाराजा ने इसी प्रकार की संधि भारत के साथ भी प्रस्तावित की थी, पर भारत की ओर से उन्हें कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। इस संदर्भ में भारतीय रवैये का अनुमान उस टिप्पणी से लगाया जा सकता है जो गृह विभाग के सचिव वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक इंटिग्रेशन आफ स्टेटस में की थी। मेनन ने लिखा था, महाराजा के प्रस्ताव तथा उसके संभावित परिणामों का अध्ययन करने के लिए हमें समय चाहिए था। हमने कश्मीर को अकेला छोड़ दिया था। वास्तव में इस राज्य के बारे में विचार करने के लिए मेरे पास समय का अभाव था। इस संधि के बावजूद पाकिस्तान ने सितंबर १९४७ में कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी कर दी तथा सैनिक कार्रवाई के द्वारा २२ अक्टूबर १९४७ को पहले मुजफ्फराबाद पर कब्जा किया और २७ अक्टूबर को बारामूला हथिया लिया। पाकिस्तानी हमले की बर्बरता का अनुमान लगाने के लिए यह जानना काफी है कि बारामूला १४००० की जनसंख्या वाला मुस्लिम बहुल नगर था, जिसमें हमले और लूटपाट की कहानी बताने के लिए केवल ३००० लोग जिंदा बचे थे। इस हमले के बाद महाराजा ने २४ अक्टूबर १९४७ को भारत से सैनिक सहायता की प्रार्थना की। भारत की ओर से कहा गया कि भारतीय सेना केवल उसी क्षेत्र में भेजी जा सकती है जो भारत का हिस्सा है, इसलिए सैन्य सहायता लेने के लिए उन्हें पहले कश्मीर का भारत में विलय करना होगा। महाराजा श्रीनगर छोड़कर जम्मू जा चुके थे और वहीं से उन्होंने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस मामले में महाराजा अकेले नहीं थे, २४ अक्टूबर को जब महाराजा के दूत ने संबंधित दस्तावेज भारत सरकार को सौंपे तब शेख अब्दुल्ला स्वयं दिल्ली में मौजूद थे और उन्होंने विलय के साथ सैन्य सहायता के प्रस्ताव का अनुमोदन

किया था। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तानी हमला २२ अक्टूबर को आरंभ हुआ, जबकि पहली भारतीय सैन्य सहायता अर्थात् ३३० जवानों की टुकड़ी २७ अक्टूबर को श्रीनगर पहुंची। इन पांच दिनों में पाकिस्तानी घुसपैठियों का प्रतिरोध किसने किया–खासकर तब जब महाराजा श्रीनगर छोड़कर जा चुके थे? इस सवाल का सबसे बेहतर उत्तर शेख अब्दुल्ला के आलोचक रहे पत्रकार टीएन धर ने दिया है। उन्होंने लिखा है, नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं के लिए पाकिस्तानी हमला उनके साथ विश्वासघात तथा कश्मीर की अस्मिता के लिए चुनौती था। चूंकि इस संस्था की जनता के बीच गहरी पैठ थी इसलिए समस्त जनमानस में पाकिस्तान के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। स्पष्ट है कि केवल राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि समस्त कश्मीरी जनता पाकिस्तान के हमले के विरुद्ध खड़ी हो गई और भारतीय सेना के पहुंचने के पहले उन्होंने घुसपैठियों का मुकाबला किया और श्रीनगर को कब्जे में जाने से बचाया। यह बड़ा विचित्र तर्क है कि १९४७ में तो पाकिस्तानी कब्जे से बचने के लिए भारतीय सेना और भारत के संसाधनों का उपयोग किया जाए और २००८ में हमारे वरिष्ठ लेखक लोकतंत्र की दुहाई देते हुए यह सलाह दें कि कश्मीर को अलग होने देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं रहना चाहता। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र इंग्लैंड ने लोकतंत्र के नाम पर आयरिश अलगाववादी आंदोलन को इसकी इजाजत नहीं दी कि वह इंग्लैंड का बंटवारा कर दे। न ही अमेरिका ने, जिसे दुनिया का सबसे उदारवादी लोकतंत्र माना जाता है, अपने पृथकतावादी तत्वों के साथ कोई ढील दिखाई। इतिहास बताता है कि अमेरिका ने अपने उन राज्यों के विरुद्ध, जो संघ से अलग होने के लिए आंदोलन चला रहे थे, सख्त सैन्य कार्रवाई से भी परहेज नहीं किया। लोकतांत्रिक संवेदनशीलता दिखाने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि हम देश के टुकड़े कर दें। १९४७ में राज्यों के पास केवल दो विकल्प थे–भारत या पाकिस्तान के साथ विलय। सभी राज्यों ने अपना–अपना फैसला कर लिया। अब २००८ में कश्मीर को एक नया विकल्प देने की वकालत की जा रही है तो फिर यह विकल्प खान अब्दुल गफ्फार खां को क्यों नहीं दिया गया? वह पाकिस्तान बनाए जाने के विरोधी थे और उत्तर पश्चिमी प्रांत की जनता ने बंटवारे के विरुद्ध वोट दिया था, लेकिन

तीसरे विकल्प के मौजूद न होने के कारण उत्तर पश्चिमी प्रांत को अपनी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़ा और सीमांत गांधी के शब्दों में उन्हें भेड़ियों के सामने डाल दिया गया। उन्होंने पाकिस्तानी जेलों में उससे ज्यादा समय बिताया जितना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की जेलों में काटा था। पाकिस्तान अपने बड़े भूभाग (बांग्लादेश) को खोने के बाद भी एक देश और एक विचार के रूप में जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसकी पैदाइश का आधार एक अलगाववादी विचारधारा थी। दूसरी ओर अगर मजहब के नाम पर एक और बंटवारे की इजाजत दी गई तो भारत एक देश के रूप में भले जिंदा रहे, मगर एक विचार के रूप में गंभीर संकट का सामना करेगा। भारत भूभाग से ज्यादा एक विचार का नाम है, जिसको हर कीमत पर परिपुष्ट किया जाना चाहिए।

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

दैनिक जागरण

■

अलगाववाद को पुरस्कार

ç'kkr feJ

महीने भर पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जम्मू का जनांदोलन इतनी जल्दी जन विद्रोही बन जाएगा। हमारे मन में यह बात घर कर गई है कि विद्रोह करने का अधिकार सिर्फ कश्मीरियों का है। हमारे लिए यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि जम्मू के लोग आखिर इस सीमा तक क्यों चले गए? जम्मू के लोगों की इतनी प्रबल नाराजगी की वजह साफ है। उन्हें समझ में आ गया कि केवल केन्द्र सरकार ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था कश्मीर में तुष्टिकरण के लिए सारी सीमाएं लांघ गई है। अगर जम्मू अब भी नहीं जगता तो शायद उसके स्वाभिमान को हमेशा के लिए दबा दिया जाता। जम्मूवासियों के मन में असंतोष और अपमान की आग तो पहले से ही सुलग रही थी। अमरनाथ प्रकरण ने इस आग में केवल घी डाला है। बीते दो दशक गवाह है कि कश्मीरी अपनी जायज-नाजायत मांगे मनवाते रहे हैं।

हर बार कुछ बुद्धिजीवियों और केन्द्र के नुमांइदों का तर्क होता है कि अगर कश्मीरियों की अमुक मांग नहीं मानी गई तो वे भारत से अलग हो जाएंगे या फिर अलगाववादी उन्हें भड़काने में सफल हो जाएंगे। याद करिए जब पीडीपी के बाद जम्मू-कश्मीर में शासन की बारी कांग्रेस की आई तो दिल्ली के कथित सेक्युलर बुद्धिजीवियों ने बाकायदा अभियान छेड़ दिया कि कांग्रेस को पीडीपी को ही सत्ता में बने रहने देना चाहिए। तर्क वही पुराना था कि यदि राष्ट्रीय दल वहां सरकार बनाता है तो कश्मीर में अलगाववाद बढ़ जाएगा। अलगाववाद के भय से केन्द्र सरकार कश्मीरियों की नाजायज मांगों को जितना मानती गई उतना ही कश्मीरी नेता ब्लैकमेलिंग करते गए। सब जानते हैं कि किस तरह कश्मीर से हिन्दू भगा दिए गए, लेकिन देश-दुनिया

में कहीं भी उनके मानवाधिकार का मामला नहीं उठा। कुछ देशों के दूतावासों से अलगाववादियों को भारी मात्रा में पैसा मिलता रहा और वे भारतीय मीडिया के प्रिय बने रहे। उनकी मदद में जिनेवा के मानवाधिकार आयोग, बीबीसी,सीएनएन और कुछ देश भी लगे रहे। कई देशों मे कश्मीर या कश्मीरी लाबी है, लेकिन क्या कभी आपने जम्मू लाबी का नाम सुना है? क्या 'जे एंड के' में केवल 'के' है, 'जे' है ही नहीं। हकीकत यह है कि कश्मीर के अलगाववादियों को खुश रखने के लिए और राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू की अनदेखी की गई। हमारी सरकारों को हमेशा लगता रहा कि असंतुष्ट होकर भी जम्मू कहां जा सकता है। इसी मानसिकता के चलते अलगावाद को पुरस्कार और राष्ट्रवाद को तिरस्कार मिलता रहा। अधिक जनसंख्या होने के बाद भी जम्मू का प्रतिनिधित्व कश्मीर से कम है। जम्मू पाकिस्तानी आक्रमण और आतंकवाद का पहला शिकार बनता है, लेकिन केन्द्रीय सहायता कश्मीर की झोली में डाल दी जाती है। इस अवहेलना पर अगर जम्मू में यह मांग उठे कि हमें कश्मीर से अलग कर दिया जाए तो उस पर सांप्रदायिक विभाजन का आक्षेप मढ़ दिया जाता है। तब हम राष्ट्रवादी बनकर कहने लगते हैं कि जम्मू और लद्दाख के कश्मीर से जुड़े रहने से अलगाववाद कमजोर होता है। आज जम्मू के लोग तिरंगा लेकर विद्रोह कर रहे हैं। उनकी उचित मांगों की अब अधिक देर तक अनसुनी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि इस जन विद्रोह के पहले जम्मू में असंतोष नहीं था, हकीकत यह है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू ने असंतोष दबा रखा था। जम्मू में जो कुछ हो रहा है वह उसके तिरस्कार का नतीजा है। जम्मू के जन विद्रोह ने देश को बताया है कि अब वह कश्मीर की धमकी देकर अपनी मांगें मनवा लेने की रणनीति सहन करने को तैयार नहीं है। कश्मीरियत बेपर्दा हो गई है। कश्मीर में ब्लैकमेल की राजनीति इतनी सफल है कि पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस भी उसका इस्तेमाल सफलता के साथ कर रहे हैं, लेकिन उनका दोष क्यों मानें। दोष तो केन्द्र सरकार, कथित बुद्धिजीवियों और मीडिया के एक बड़े वर्ग का है जिसने कश्मीर की हर धमकी के आगे घुटने टेके। परिणाम यह हुआ कि जिन उमर फारूख और बिलाल के पिताओं को पाकिस्तान के इशारे पर मौत के घाट उतारा गया वे भी उसके नहीं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें मालूम है

कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में गोली मिलेगी, जबकि भारत के खिलाफ बोलने में झोली भरेगी। जम्मू विद्रोह का संदेश स्पष्ट है कि तुष्टीकरण ने कश्मीर को पाकिस्तान से बदत्तर बना दिया है। जिसे कुलदीप डोगरा के बलिदान से यह जन आंदोलन, जन विद्रोह बना उसे सांघातिक चोट संसद में दिए उमर अब्दुल्ला के उस भाषण से लगी जिसमें कहा गया कि कश्मीरी एक इंच जमीन भी न देंगे। अमरनाथ विवाद से जम्मू की आंखें खुल गई है और अब जम्मू के आंदोलन से देश की आंखें खुलनी चाहिए। आखिर कश्मीरियों को अमरनाथ यात्रियों की अस्थाई सुविधा पर इतनी आपत्ति क्यों है जबकि उकने आने से लाभ उन्हीं को होता है। कश्मीरी सड़कों पर उतरे तो डरी हुई राज्य सरकार ने केन्द्र के इशारे पर स्थाई सुविधा को वापस ले लिया। अगर कश्मीरी अलगाववादियों के सामने केन्द्र सरकार ऐसे ही घुटने टेकती रही तो एक-दो साल में भारत सरकार कश्मीरियों के पाकिस्तान में मिल जाने की आशंका समाप्त करने के नाम पर अमरनाथ यात्रा पर ध्यान नहीं दिया गया तो आज भी कल्पना कल हकीकत बन सकती है।

कश्मीर का तुष्टीकरण करके हमने कश्मीर की सद्भावनापूर्ण परंपराओं को भी समाप्त कर दिया है। हमने अलगाववाद के लिए प्रीमियम देना शुरू कर दिया है। तुष्टीकरण का अंत नहीं होता। तुष्टीकरण की राजनीति का अर्थ ही यही है कि कभी संतुष्ट न हो। जब महात्मा गांधी ने जिन्ना से कहा कि अपनी मांगें बताइए, हम स्वीकार करेंगे तो जिन्ना का जवाब था, 'हमारी लेटेस्ट मांगें ये हैं, पर ये लास्ट नहीं है।' कुछ सरकारें तुष्टीकरण में अंधी हो जाती है तो जनता को आगे आना पड़ता है। जम्मू की जनता यही कर रही है। अगर हमने अब भी इसे तात्कालिक शोर समझ कर इसकी अनदेखी-अनसुनी की तो इतिहास हमें शायद ही माफ करे।

(लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं)

■

भारत का मुकुट संकटों से घिरा : भाजपा

गत १८ अगस्त को भाजपा केन्द्रीय कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड भूमि विवाद मुद्दे पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसे हम यहां अविकल प्रकाशित कर रहे हैं।

इस समय देश गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। केंद्र की संप्रग सरकार की अक्षमता व उदासीनता के कारण जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी राजनीति को काफी बढ़ावा मिला है। देश के विभिन्न भागों में हमले हो रहे हैं। संप्रग सरकार की वोट बैंक की राजनीति से आतंकवादी उत्साहित हैं क्योंकि वे यह जानते हैं कि उन पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पिछले कई सालों से यह आम राय है श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सरकार द्वारा उचित कदम उठाया जाना चाहिए। संविधान की धारा २६ के तहत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों की व्यवस्था करने का मूलभूत अधिकार प्राप्त है। तद्नुरूप प्रमुख धार्मिक अवसरों पर सरकार के उचित सहयोग प्राप्त कर विभिन्न धार्मिक समितियां गठित की जाती हैं।

जम्मू-कश्मीर की प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा अनंत काल से जारी है। यह यात्रा अत्यंत कठिन व दुष्कर है। नब्बे के दशक में बर्फीले तूफान में अनेक तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गयी थी। इसलिए जब श्री फारूख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, नीतिश सेन गुप्ता समिति की अनुशंसा के आधार पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित कानून द्वारा अमरनाथ श्राइन बोर्ड की स्थापना की गयी और बोर्ड को अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं के लिए वैधानिक अधिकार दिए गए। कांग्रेस व पीडीपी (सरकार का घटक दल) के समर्थन द्वारा २२ मई २००८ को जम्मू-कश्मीर सरकार ने श्राइन बोर्ड को यात्रा के दौरान कुछ महीने के

लिए ऊंचे पहाड़ों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सौ एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया। वास्तव में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के दो आदेशों - १५.०४.२००५ के सिंगल बेंच व १७.०५.२००५ के डिविजन बेंच - में कहा गया है कि राज्य सरकार यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भूमि के इस्तेमाल की अनुमति देगी। श्राइन बोर्ड को जमीन आवंटित करने के निर्णय लेने के पीछे यही आधार था।

इसके तुरंत बाद कश्मीर घाटी के अलगाववादी तत्वों ने कुत्सित अभियान चलाया, क्योंकि उनके अनुसार इस निर्णय से हिंदू उपनिवेश के जरिए यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन होगा। पीडीपी जो चार साल से अधिक समय से कांग्रेस का एक सहयोगी दल था इस अभियान में हिस्सा लिया, इस तथ्य के बावजूद कि वन और कानून विभाग पीडीपी के पास था और पीडीपी मंत्री नेतृत्व में भूमि आवंटन की पूरी प्रक्रिया की पहल हुई थी। इस महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए भाजपा महसूस करती है कि जम्मू-कश्मीर राज्य की समस्या न तो हिंदू बनाम मुस्लिम की है और न ही जम्मू बनाम कश्मीर की है। वास्तव में यह राष्ट्रवादी बनाम अलगाववादी है। दरअसल जिस तरह से संप्रग सरकार ने अलगाववादियों के सामने घुटने टेके उससे पूरे देश में खासतौर से जम्मू-कश्मीर में भारी आक्रोश है।

जम्मू क्षेत्र में जिस शांति पूर्ण तरीके से भारी आंदोलन चल रहा है वह न केवल अनोखा है बल्कि देश के लोकतांत्रिक आंदोलन के इतिहास में अतुलनीय है। तिरंगे झंडे के साथ समाज के सभी वर्गों ने राष्ट्र विरोधी तत्वों के सामने घुटने टेकने के विरोध में आंदोलन में हिस्सा लिया। यह देख कर आश्चर्य होता है कि न केवल अध्यापक, डॉक्टर, वकील, व्यवसायी और नौजवान बल्कि वृद्ध व सेनाओं के रिटायर्ड अधिकारी भी आंदोलन में कूद पड़े। यह इस बात का संकेत है कि जम्मू क्षेत्र के लोगों में वर्षों से अन्याय व भेदभाव के खिलाफ आक्रोश व्याप्त था। वास्तव में भाजपा जम्मू निवासियों की इस बात की सराहना करती है उन्होंने भारत की सार्वभौमिकता के प्रति पूरी प्रतिबद्धता दिखाते हुए लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण ढंग से यह सार्थक आंदोलन चलाया। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में देशभक्ति की भावना को

जीवंत बनाये रखा।

इसके बाद पीडीपी व अलगाववादियों द्वारा निहित स्वार्थवश दो भ्रामक प्रचार शुरू हुए, क्योंकि पीडीपी यह जानती थी कि वह अलग-थलग पड़ गयी है। पहले यह प्रचार किया गया कि जम्मू आंदोलन सांप्रदायिक प्रकृति का है। लेकिन मुस्लिमों की भागीदारी से इस अफवाह का पर्दाफाश हो गया, तब यह अफवाह उड़ायी गयी कि कश्मीर घाटी का आर्थिक नाकेबंदी की गयी है। चूंकि राज्य राज्यपाल शासन के अधीन है, भारत सरकार और राज्य प्रशासन को इस कुत्सित अभियान का पर्दाफाश करना चाहिए था। लेकिन उनकी आगा-पीछा ने अलगाववादी तत्वों को अपने कुत्सित अभियान जारी रखने का मौका दे दिया। उल्लेखनीय है कि यह अभियान सीमापार आईएसआई द्वारा दिशा-निर्देशित हो रहा है। वास्तव में, केंद्र सरकार ने लगभग एक सप्ताह तक इस कुत्सित अभियान को असफल करने की कोई पहल नहीं की। मुजफ्फराबाद मार्च इस अभियान का एक हिस्सा भर थी। यह प्रमाण मौजूद हैं कि सुरक्षा व निर्बाध आवागमन के आश्वासन के बावजूद पीडीपी व अलगाववादी तत्वों के समर्थक ट्रक चालक जम्मू की तरफ सामान ढोने से मना कर दिया। भाजपा स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे फहराने की निंदा करती है।

केंद्र में कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने जम्मू-कश्मीर मसले पर जिस तरह रवैय्या अपनाया वह यह याद दिलाता है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कश्मीर समस्या को उलझाये रखा है। वर्षों से जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस द्वारा की गयी अधिकांश पहल से अलगवावादी व राष्ट्र विरोधी तत्वों के हौसले बुलंद हुए हैं और उनके हौसले पस्त हुए हैं जो यह विश्वास करते हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है। कश्मीर समस्या पर कांग्रेस की गलत नीतियां ऐतिहासिक सच है। इस बार भी उनकी नीति इससे अलग नहीं है। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने एक सप्ताह के भीतर अलगाववादी मांग के सामने घुटने टेक दिए और इसके विपरीत जम्मू में ३८ दिनों से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे श्री अमरनाथ संघर्ष के नेताओं से बात करना उचित नहीं समझा। भाजपा महसूस करती है कि संप्रग सरकार ने इस पूरे मामले को अनावश्यक रूप से उलझा दिया है। यदि इस मामले में देश

का कानून और न्यायालय के आदेश को पूरी ईमानदारी से पालन किया गया होता तो समाधान पाया जा सकता था।

भाजपा की मांग है कि यह भारत सरकार कि जिम्मेदारी है कि श्राइन बोर्ड के पक्ष में भूमि आवंटन निरस्त आदेश को पारित करते हुए पहला सुधारात्मक उपाय करे। भाजपा आगे मांग करती है कि जम्मू-कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल श्री एन.एन. वोहरा को वापस बुलाया जाये और सरकार से अपील करती है कि सीमापार पाकिस्तान द्वारा समर्थित अलगाववादी तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाये। भाजपा कश्मीर की घटनाओं पर पाकिस्तानी सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं के बयानों की निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि पाकिस्तान को सख्त संदेश भेजा जाए कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा कश्मीर घाटी के राष्ट्रवादी तत्वों से अपील करती है कि वे सीमापार समर्थित अलगाववादी तत्वों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। भाजपा की यह भी मांग है कि अमरनाथ संघर्ष समिति के साथ समयबद्ध व रचनात्मक बातचीत हो और सामान्य स्थिति बहाल करने के पहले कदम के रूप में श्राइन बोर्ड के पक्ष में जमीन आवंटन रद्द करने के फैसले को वापस लिया जाय। भाजपा चाहती है कि समस्या को शांतिपूर्ण माहौल में हल किया जाय और दिवंगत आंदोलनकारियों के प्रति शोक प्रकट किया जाय।

■